# 2017-18 वार्षिक प्रतिवेदन

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

# वार्षिक प्रतिवेदन
# 2017—18

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

# विषय सूची


| अध्याय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|
| अध्याय–I<br>पुनरावलोकन | 1-5 |
| अध्याय–II<br>संगठनात्मक ढांचा और कार्य | 7-17 |
| अध्याय–III<br>कंपनी अधिनियम और इसका प्रशासन | 19-26 |
| अध्याय–IV<br>सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) अधिनियम, 2008 | 27-28 |
| अध्याय–V<br>प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 और अन्य कानून | 29-34 |
| अध्याय–VI<br>परस्पर क्रियाशील एवं उत्तरदायी प्रशासन की ओर | 35-48 |
| (अनुलग्नक (I से VI) | 49-65 |

# महत्वपूर्ण संक्षिप्ति

| क्र.सं. | शब्द | पूरा रूप |
|---|---|---|
| 1. | एएआईएफआर | औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण अधिकरण |
| 2. | बीआईएफआर | औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड |
| 3. | बीओओटी | निर्माण, स्वामित्व प्रचालन और अंतरण |
| 4. | सीडीएम | कारपोरेट डाटा प्रबंधन |
| 5. | सीआईएन | कारपोरेट पहचान संख्या |
| 6. | सीसीआई | भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग |
| 7. | सीओआई | निगमन प्रमाण पत्र |
| 8. | सीओएमपीएटी | प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण |
| 9. | सीपीजीआरएएमएस | केन्द्रीय लोक शिकायत समाधान और निगरानी प्रणाली |
| 10. | सीएलबी | कंपनी विधि बोर्ड |
| 11. | सीपीएंडएस | समुदाय, वैयक्तिक और सामाजिक सेवाएं |
| 12. | सीआरसी | केंद्रीय रजिस्ट्रीकरण केंद्र |
| 13. | सीएससी | सिविल सेवा केंद्र |
| 14. | सीएसआर | कारपोरेट सामाजिक दायित्व |
| 15. | सीएससीएस | केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा |
| 16. | सीएसओएल | केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा |
| 17. | सीएसएसएस | केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा |
| 18. | सीवीसी | केंद्रीय सतर्कता आयोग |
| 19. | डीजीसीओए | महानिदेशक कारपोरेट कार्य |
| 20. | डीओपीटी | कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग |
| 21. | एफसी | विदेशी कंपनियां |
| 22. | जीपीआर | सरकारी प्रक्रिया पुनः इंजीनियरिंग |
| 23. | आईएपी | निवेशक जागरूकता कार्यक्रम |
| 24. | आईबीसी | दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता |
| 25. | आईबीबीआई | भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड |
| 26. | आईसीएआई | भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान |
| 27. | आईसीएआई | भारतीय लागत लेखाकार संस्थान |
| 28. | आईसीएलएस | भारतीय कारपोरेट विधि सेवा |
| 29. | आईसीएन | अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क |

| | | |
|---|---|---|
| 30. | आईसीएसआई | भारतीय कंपनी सचिव संस्थान |
| 31. | आईईपीई | विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि |
| 32. | आईईपीएफए | विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण |
| 33. | आईजीएमसी | निवेशक शिकायत निवारण प्रबंधन केन्द्र |
| 34. | एलएलपी | सीमित दायित्व भागीदारी |
| 35. | एमएंडक्यू | खनन और उत्खनन |
| 36. | एमसीए | कारपोरेट कार्य मंत्रालय |
| 37. | एमओए | संगम ज्ञापन |
| 38. | एमएसएमई | सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम |
| 39. | एनसीएलएटी | राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण |
| 40. | एनसीएलटी | राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण |
| 41. | एनईजीपी | राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना |
| 42. | एनएफआरए | राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण |
| 43. | एनएफआरएए | राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग अपील प्राधिकरण |
| 44. | ओएल | शासकीय समापक |
| 45. | ओएलआईसी | राजभाषा कार्यान्वयन समिति |
| 46. | ओपीसी | एकल व्यक्ति कंपनी |
| 47. | पीआई | व्यवसायिक संस्थान |
| 48. | आरबीआई | भारतीय रिजर्व बैंक |
| 49. | आरसीसी | कंपनियों का रजिस्ट्रीकरण और समापन |
| 50. | आरईएंडआर | स्थावर संपदा और किराया |
| 51. | आरओसी | कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय |
| 52. | आरडी | क्षेत्रीय निदेशक |
| 53. | सेबी | भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड |
| 54. | एसएफआईओ | गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय |
| 55. | एसपीआईसी | कंपनियों के निगमन हेतु सरलीकृत प्ररूप |
| 56. | टीएस एण्ड सी | परिवहन भंडारण एवं संचार |

*******

# अध्याय–I
# पुनरावलोकन

**1.1.1** इस मंत्रालय के अधिदेश में अन्य बातों के साथ–साथ कारपोरेट क्षेत्र के विनियमन हेतु व्यापक स्वरूप के कानूनों का प्रशासन शामिल है जो कि इस प्रकार हैं:–

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 / कंपनी अधिनियम, 1956,

(ii) सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008,

(iii) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002,

(iv) दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता, 2016,

(v) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949,

(vi) लागत एवं संकर्म लेखाकार अधिनियम, 1959,

(vii) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980,

(viii) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 और भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (केन्द्र शासित क्षेत्रों में),

(ix) कंपनी (राष्ट्रीय निधि में दान) अधिनियम, 1951,

## कार्य

**1.2.1** कारपोरेट कार्य मंत्रालय के मुख्य दायित्व इस प्रकार हैं:–

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 के अधिसूचित प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 1956 के उन प्रावधानों का प्रशासन जो अभी भी लागू हैं।

(ii) कंपनी अधिनियम, 2013 की विभिन्न धाराओं को अधिसूचित करना।

(iii) इस मंत्रालय द्वारा शासित विभिन्न कानूनों के अधीन नियम और विनियमन तैयार करना।

(iv) भारतीय लेखांकन मानकों का अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आईएफआरएस) के साथ समाभिरूपन।

(v) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के माध्यम से प्रतिस्पर्धा अधिनियम का कार्यान्वयन।

(vi) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा प्रशासित किए जाने वाले विभिन्न कानूनों के प्रावधानों का परिचालन करने के लिए ई–गवर्नेंस का कार्यान्वयन।

(vii) कारपोरेट कार्य प्रणाली में अनियमितताओं का शीघ्र पता लगाने के लिए प्रणाली स्थापित करना।

(viii) निवेशक शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम चलाना।

(ix) गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ) के माध्यम से गंभीर कपट का पता लगाना।

(x) भारतीय कारपोरेट विधि सेवा (आईसीएलएस) का प्रबंधन।

(xi) संबद्ध संगठनों जैसे आईआईसीए, एसएफआईओ, सीसीआई, एनसीएलटी, एनसीएलएटी और आईबीबीआई को प्रशासनिक सहायता देना।

## महत्वपूर्ण नीति विकास

## कंपनी अधिनियम, 2013

**1.3.1** कंपनी अधिनियम, 2013 दिनांक 30 अगस्त, 2013 को अधिसूचित किया गया जिसमें बेहतर अनुपालन के लिए पारदर्शिता प्रकटीकरण अनिवार्य करते हुए कारपोरेट क्षेत्र को स्व–नियमन का अवसर दिया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की 470 धाराएं थीं। इनमें से कंपनियों के पुनरूजीवन और पुनर्वास तथा परिसमापन से संबंधित 39 धाराएं दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 द्वारा हटा दी गईं। शेष 431 धाराओं में से 429 धाराएं संबंधित नियमों सहित अधिसूचित की गई हैं। शेष दो धाराएं जो अभी अधिसूचित की जानी हैं (i) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) के गठन (धारा 132) और (ii) निरसन और संक्रमण (धारा 465) से संबंधित हैं। इन धाराओं की विभिन्न स्तरों पर जांच की जा रही है और इन्हे यथासमय अधिसूचित किया जाएगा।

## कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2016

**1.3.2** कंपनी अधिनियम, 2013 में मई, 2015 में किए गए संशोधनों के फलस्वरूप आगे और संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है। कंपनी विधि समिति, 2015 (सीएलसी–2015), जिसने अपनी रिपोर्ट 01 फरवरी, 2016 को प्रस्तुत की, द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर और सीएलसी रिपोर्ट पर जनता से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर लोक सभा में 16 मार्च, 2016 को कंपनी (संशोधन) विधेयक, प्रस्तुत किया है। कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2016 वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया जिसने जांच के बाद 07 दिसंबर, 2016 को संसद के दोनों सदनों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उक्त रिपोर्ट के आधार पर विधेयक के शासकीय संशोधन लोक सभा में प्रस्तुत किए गए। शासकीय संशोधनों के साथ उक्त विधेयक लोक सभा में 27 जुलाई, 2017 और राज्य सभा में 19 दिसंबर, 2017 को पारित किया गया। माननीय राष्ट्रपति की सहमति अभी प्राप्त होनी है।

## दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता, 2016

**1.3.3** दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (आईबीसी या संहिता) शासकीय राजपत्र में 28 मई, 2016 को प्रकाशित की गई। भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 संशोधित किए गए और 01 अगस्त, 2016 को अधिसूचित किए गए जिनमें कारपोरेट कार्य मंत्रालय को इस संहिता के प्रशासन का दायित्व सौंपा गया। यह संहिता कारपोरेट व्यक्तियों, भागीदारी फर्मों और व्यक्तिगत फर्मों के पुनर्गठन और दिवाला समाधान से संबंधित कानूनों का समयबद्ध रूप से समेकन और उनमें संशोधन करने के उद्देश्य से तैयार की गई है।

## आईबीसी संशोधन अध्यादेश और प्रतिस्थापन विधेयक

**1.3.4** दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2017 के प्रख्यापन संहिता को संशोधित करने के लिए 23 नवंबर, 2017 की अधिसूचना द्वारा किया गया ताकि कुछ व्यक्तियों जिनके पूर्ववृत्त के कारण संहिता के अधीन प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है, पर दिवाला समाधान योजना प्रस्तुत करने से रोक लगाकर संहिता को और सुदृढ़ीकरण करना तथा लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदन से पहले समाधान योजना को प्रस्तुत करने और उसपर विचार करने के लिए अतिरिक्त अपेक्षाओं को विहित करने के लिए प्रावधान है।

**1.3.5** अध्यादेश के लिए प्रतिस्थापन विधेयक, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन)

विधेयक, 2018, जो और अधिक स्पष्टता लाने के लिए कुछ व्यक्तियों पर रोक लगाए जाने से संबंधित प्रावधानों में और संशोधन करेगा, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है। राष्ट्रपति की स्वीकृति की प्रतीक्षा है।

## दिवाला विधि समिति

**1.3.6** इस मंत्रालय में; (i) संहिता की कार्यप्रणाली और कार्यान्वयन का जायजा लेने, (ii) ऐसे मुद्दों की पहचान करने जो इस संहिता के अधीन कारपोरेट दिवाला समाधान और परिसमापन ढांचे की कार्यकुशलता को प्रभावित कर सकते हैं और (i) इन मुद्दों का समाधान करने, तथा (ii) विहित प्रक्रियाओं की कार्यकुशलता बढ़ाने तथा इस संहिता के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समुचित सिफारिशें करने के लिए 16 नवंबर, 2017 के आदेश द्वारा दिवाला विधि समिति (आईएलसी) का गठन किया है।

**1.3.7** आईएलसी की पहली बैठक 8 दिसंबर, 2017 को नई दिल्ली में आयोजित की गई जिसमें सदस्यों से अगली बैठक से पहले पक्षकारों के साथ विचार–विमर्श/चर्चा करने का अनुरोध किया गया। उक्त बैठक के अनुसरण में आईबीसी, 2016 की कार्यप्रणाली के बारे में जनता से टिप्पणियां भी आमंत्रित की गई हैं।

## भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड

**1.4.1** भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) की स्थापना दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन 01 अक्तूबर, 2016 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा की गई थी। बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति 01 अक्तूबर, 2016 की अधिसूचना द्वारा की गई। इस बोर्ड के चार पदेन सदस्यों की नियुक्ति भी इस मंत्रालय के 01 अक्तूबर, 2016 के आदेश द्वारा की गई है। आईबीबीआई के अधिदेश में इस संहिता के अधीन शामिल अन्य शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करने के साथ–साथ दिवाला व्यवसायिकों, दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों और इंफॉरमेशन यूटिलिटी का नियमन करना शामिल है।

**1.4.2** आईबीबीआई ने नियामक परिवेश में सुधार करने के लिए (i) आईबीबीआई (स्वैच्छिक परिसमापन प्रकिया) नियमन, 2016; (ii) आईबीबीआई (इंफॉरमेशन यूटिलिटीज) नियमन, 2017; (iii) आईबीबीआई (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए फास्ट ट्रैक दिवाला समाधान प्रक्रिया) नियमन, 2017; और (iv) आईबीबीआई कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 से संबंधित अधिसूचनाएं जारी की हैं।

## विशेष न्यायालय

**1.4.3** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 435 से 440, जिनमें "विशेष न्यायालय" से संबंधित प्रावधान विहित हैं, 18 मई, 2016 से प्रवृत्त की गईं। धारा 435 में प्रावधान है कि केन्द्र सरकार इस अधिनियम के अधीन गंभीर अपराधों अर्थात् दो वर्ष या अधिक के कारावास के दंड वाले अपराधों की शीघ्र सुनवाई के प्रयोजन हेतु इतनी संख्या में विशेष न्यायालय स्थापित या पदनामित कर सकती है जैसा कि आवश्यक समझा जाए। एक विशेष न्यायालय में केवल एक न्यायाधीश होगा जिसे केन्द्र सरकार द्वारा उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से नियुक्त किया जाएगा जिसकी अधिकारिता में नियुक्त किए जाने वाला न्यायाधीश कार्य कर रहा है। कोई व्यक्ति विशेष न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हेतु तभी पात्र होगा जबकि वह उस नियुक्ति से तत्काल पहले सत्र न्यायाधीश या अपर सत्र न्यायाधीश के पद पर हो। 30 नवंबर, 2017 तक विभिन्न राज्यक्षसंघ शासित क्षेत्रों के लिए अधिसूचित किए गए पदनामित विशेष न्यायालयों की सूची **अनुलग्नक–I** पर दी गई है।

## राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण

**1.4.4** राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण का गठन दिनांक 01 जून, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1932(अ) द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 408 के अधीन किया गया है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने इसकी ग्यारह न्यायपीठें स्थापित की हैं जिनमें से नई दिल्ली में प्रधान न्यायपीठ और नई दिल्ली, अहमदाबाद, इलाहाबाद, बंगलुरू, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता और मुम्बई में एक–एक क्षेत्रीय न्यायपीठ है। एनसीएलटी भारत में पंजीकृत कंपनियों से सबंधित विवादों के निर्णय के लिए एक अर्धन्यायिक संस्था है और इसने कंपनी विधि बोर्ड को प्रतिस्थापित किया है।

**1.4.5** एनसीएलटी ने 30 नवंबर, 2017 तक 13,307 मामलों का निपटान किया है और 8,080 मामले लंबित हैं।

## राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण

**1.4.6** राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण का गठन राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के आदेशों से उत्पन्न होने वाली अपीलों से निपटने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 410 के अधीन 01 जून, 2016 की अधिसूचना संख्या 1933(अ) द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण आईबीसी, 2016 की धारा 61, 202 और 211 के अधीन राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए अपील अधिकरण है। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण 26 मई, 2017 से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 410 में किए गए संशोधनों के अनुसार भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा जारी किसी निर्देश या किए गए निर्णय के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई और उनके निपटान के लिए भी अपील अधिकरण है।

**1.4.7** 30 नवंबर, 2017 तक राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण ने 1,052 मामलों का निपटान किया है और 264 मामले लंबित हैं।

## विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण

**1.4.8** विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण की स्थापना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125(5) के अधीन दिनांक 05 सितंबर, 2016 की अधिसूचना संख्या 854(अ) द्वारा की गई है जिसका उद्देश्य पात्र पक्षकारों को अप्रदत्त राशि लौटाना और निवेशक शिक्षा, जागरूकता और संरक्षण को बढ़ावा देना है।

## शासकीय समापक

**1.5.1** शासकीय समापक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 359 (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 448 के सदृश) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं और ये विभिन्न क्षेत्राधिकार के उच्च न्यायालयों से संबद्ध हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन समापन से संबंधित धारा तथा अन्य प्रावधान 15 दिसंबर, 2016 को प्रवृत्त किए गए। संबंधित क्षेत्रीय निदेशक केन्द्र सरकार की ओर से इनके कार्यालयों का पर्यवेक्षण करते हैं। शासकीय समापक कंपनियों के समापन मामलों में उच्च न्यायालयों के निर्देशों और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करते हैं।

**1.5.2** दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन कारपोरेट दिवाला के प्रावधानों का अधिनियमन और इसके प्रवृत्त होने के साथ तथा कंपनी अधिनियम, 2013 में समापन से संबंधित कुछ प्रावधानों के पश्चातवर्ती संशोधन और राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के समापन से संबंधित लंबित कार्यवाही का उच्च न्यायालय से अंतरण करने के नियम अधिसूचित हो जाने के परिणामस्वरूप शासकीय समापकों को 01 दिसंबर, 2016 से 'ऋण

का भुगतान करने की असमर्थता' आधार पर किसी कंपनी के समापन के लिए नए मामले या उच्च न्यायालयों से एनसीएलटी को अंतरित लंबित कार्यवाही नहीं सौंपी जाएगी। इस प्रकार के मामलों का निपटान आईबीसी, 2016 की धारा 7, 8 या 9 के अधीन दिवाला समाधान से किया जाएगा और यदि दिवाला समाधान प्रक्रिया असफल रहती है तो समापन कार्रवाई एनसीएलटी द्वारा अनुमोदित दिवाला व्यावसायिकों द्वारा की जाएगी।

**1.5.3** शासकीय समापकों के निष्पादन की समीक्षा कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा समय–समय पर की जाती है। पिछली समीक्षा नई दिल्ली में 10–11 नवंबर, 2017 को की गई। सभी शासकीय समापक कार्यालयों के लिए अगली दो तिमाही के लक्ष्य भी निर्धारित किए गए।

*******

# अध्याय–II
# संगठनात्मक ढांचा और कार्य

## प्रशासनिक ढांचा

**2.1.1** मंत्रालय का तीन स्तरीय संगठनात्मक ढांचा है जिसमें नई दिल्ली स्थित मुख्यालय, अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुम्बई, नई दिल्ली और शिलांग में सात क्षेत्रीय निदेशक कार्यालयय 15 कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी); मानेसर स्थित एक केन्द्रीय रजिस्ट्रीकरण केन्द्र (सीआरसी); नौ कंपनी रजिस्ट्रार–सह–शासकीय समापक कार्यालय और चौदह शासकीय समापक कार्यालय हैं। मानेसर (गुरुग्राम) स्थित केन्द्रीय रजिस्ट्रीकरण केन्द्र (सीआरसी) की स्थापना 26 जनवरी, 2016 को की गई है। उपर्युक्त कार्यालयों /स्थापनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित पैरा में दिया गया है।

## मुख्यालय

**2.2.1** मुख्यालय के प्रशासनिक ढांचे में एक सचिव, एक विशेष सचिव/अपर सचिव, एक महानिदेशक, कारपोरेट कार्य, चार संयुक्त सचिव, एक संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, एक आर्थिक सलाहकार, एक लागत सलाहकार, दो निदेशक निरीक्षण एवं जांच, उप महानिदेशक और प्रशासनिक, विधि, लेखांकन, आर्थिक और सांख्यिकी मामलों में विशेषज्ञता रखने वाले अन्य अधिकारी हैं। इस मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की सूची **अनुलग्नक–I** पर दी गई है।

## क्षेत्रीय निदेशक

**2.2.2** क्षेत्रीय निदेशक अपने–अपने क्षेत्राधिकार में स्थित कंपनी रजिस्ट्रार और शासकीय समापक कार्यालयों के कार्यों का पर्यवेक्षण करते हैं। इन कार्यालयों का मुख्य कार्य तकनीकी और प्रशासनिक मामलों में कंपनी रजिस्ट्रार और शासकीय समापक कार्यालयों को परामर्श तथा दिशानिर्देश देना, सरकार को विशेष रूप से कंपनियों के कार्यकलापों और परिचालनों के संबंध में सूचित करना तथा अपने क्षेत्र में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य कंपनी अधिनियम के प्रशासन संबंधी मामलों में संपर्क के रूप में कार्य करना है। क्षेत्रीय निदेशकों को कंपनी अधिनियम के उपबंधों के अधीन सीधे ही कुछ कार्य करने और उनका निपटान करने की शक्तियां भी दी गई हैं।

## केन्द्रीय रजिस्ट्रीकरण केन्द्र (सीआरसी)

**2.2.3** कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने सरकारी प्रक्रिया की री–इंजीनियरिंग (जीपीआर) में पहल–प्रयास करते हुए "नाम उपलब्धता" (आईएनसी–01) और "निगमन" (आईएनसी–02/07/29) ई–प्ररूपों पर कार्रवाई करने के लिए केन्द्रीय रजिस्ट्रीकरण केन्द्र (सीआरसी) की स्थापना की है। जीपीआर प्रक्रिया इस मंत्रालय के कारपोरेट को "व्यापार करने की आसानी" में मदद करने के उद्देश्य के अनुसरण में है और इससे निगमन से संबंधित आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई होने, नियमों के विनियोग में एकरूपता आने और पक्षपात दूर होने की आशा है। इस प्रक्रिया में सहायता के लिए गहन मॉनीटरिंग की जा रही है जिसका उद्देश्य उक्त ई–प्ररूपों की कार्रवाई एक से दो कार्यदिवसों में पूरी करना है।

## कंपनी रजिस्ट्रार

**2.2.4** कंपनी रजिस्ट्रारों की नियुक्ति इस अधिनियम की धारा 396 के अधीन की जाती है। रजिस्ट्रार, सीआरसी को छोड़कर अन्य सभी कंपनी रजिस्ट्रार इस अधिनियम के अन्य सभी प्रावधानों और उनके अधीन बनाए गए नियमों, जो निगमन के बाद प्रासंगिक होंगे, के लिए रजिस्ट्रार, सीआरसी द्वारा निगमित कंपनियों सहित सभी कंपनियों पर अधिकार क्षेत्र रखना जारी रखेंगे। कारपोरेट कार्य मंत्रालय संबंधित क्षेत्रीय निदेशकों के माध्यम से इन कार्यालयों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है।

## शासकीय समापक

**2.2.5** शासकीय समापक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 359 (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 448 के सदृश) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं और ये विभिन्न क्षेत्राधिकार के उच्च न्यायालयों से संबद्ध हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन समापन से संबंधित धारा तथा अन्य प्रावधान 15 दिसंबर, 2016 को प्रवृत्त किए गए। संबंधित क्षेत्रीय निदेशक केन्द्र सरकार की ओर से इनके कार्यालयों का पर्यवेक्षण करते हैं। शासकीय समापक कंपनियों के समापन मामलों में उच्च न्यायालयों के निर्देशों और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करते हैं।

**2.2.6** कंपनी अधिनियम, 2013 में कुछ परिस्थितियों में किसी कंपनी के परिसमापन के लिए 'संक्षिप्त प्रक्रिया' का प्रावधान है। ऐसे मामलों में केन्द्र सरकार कंपनी के समापक के रूप में शासकीय समापक को नियुक्त करेगी और समापन कार्रवाई कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन समापन के अध्याय–XX के भाग–I के अधीन की जा सकती है।

**2.2.7** शासकीय समापकों के दायित्व और अधिकार मुख्य रूप से शासकीय समापक द्वारा कब्जा ली गई कंपनी की चल और अचल आस्तियों की बिक्री; लेनदारों/श्रमिकों से दावे मंगाने; दावों का निर्णय करने और लेनदारों की सूची निर्धारित करने; लेनदारों/श्रमिकों को लाभांश द्वारा भुगतान करने और अंशदाताओं (अर्थात् वह व्यक्ति जिसे परिसमापन होने की दशा में कंपनी की आस्तियो में अंशदान करना है) की सूची निर्धारित करने, जहां कहीं आवश्यक हो; कंपनी को देय ऋण की वसूली के लिए कर्जदारों के विरूद्ध दावे फाइल करने; कंपनी के पूर्व निदेशकों के विरूद्ध कृत्यों और त्रुटियों तथा विश्वासभंग के लिए अपराधिक शिकायतें और कदाचार कार्रवाई शुरू करने; यदि कंपनी की आस्तियां उसकी देयता से अधिक हैं तो पूंजी पर लाभ के भुगतान और अंततः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 302 (या कंपनी अधिनियम, 1956 की सदृश धारा 481) से संबंधित हैं।

**2.2.8** दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन कारपोरेट दिवाला के प्रावधानों का अधिनियमन और इसके प्रवृत्त होने के साथ तथा कंपनी अधिनियम, 2013 में समापन से संबंधित कुछ प्रावधानों के पश्चातवर्ती संशोधन और राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के समापन से संबंधित लंबित कार्यवाही का उच्च न्यायालय से अंतरण करने के नियम अधिसूचित हो जाने के परिणामस्वरूप शासकीय समापकों को 01 दिसंबर, 2016 से 'ऋण का भुगतान करने की असमर्थता' आधार पर किसी कंपनी के समापन के लिए नए मामले या उच्च न्यायालयों से एनसीएलटी को अंतरित लंबित कार्यवाही नहीं सौंपी जाएगी। इस प्रकार के मामलों का निपटान आईबीसी, 2016 की धारा 7, 8 या 9 के अधीन दिवाला समाधान से किया जाएगा और यदि दिवाला समाधान प्रक्रिया असफल रहती है तो समापन

कार्रवाई एनसीएलटी द्वारा अनुमोदित दिवाला व्यावसायिकों द्वारा की जाएगी। शासकीय समापक निम्नलिखित कार्य करना जारी रखेंगेः

(i) सभी मामले जिनमें समापन आदेश उच्च न्यायालयों द्वारा पहले ही पारित कर दिए गए हैं।

(ii) जहां लंबित कार्यवाही उच्च न्यायालयों के पास जारी रखी गई है।

(iii) जहां 'ऋण का भुगतान करने की अक्षमता को छोड़कर' (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 433 के खंड (क) और (च) के अधीन दायर) आधार पर समापन की एनसीएलटी को अंतरित की गई कार्यवाही, यदि इसे एनसीएलटी द्वारा शासकीय समापकों को सौंपा गया हो।

(iv) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 271 के अधीन नई कार्यवाही, यदि समापन आदेश पारित होने के बाद एनसीएलटी इसे शासकीय समापकों को सौपें।

## मुख्यालय में संगठनात्मक ढांचा

**2.3.1** कंपनी अधिनियम और इस मंत्रालय द्वारा प्रशासित अन्य अधिनियमों के प्रशासन/नियमन के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय के मुख्यालय में विभिन्न प्रभाग/अनुभाग/प्रकोष्ठ हैं। कंपनी अधिनियम से संबंधित मामलों के प्रशासनिक ढांचे का ब्यौरा नीचे दिया गया है। कंपनी अधिनियम की कार्यप्रणाली और प्रशासन संबंधी मामलों का विवरण अध्याय–III में दिया गया है और सीमित देयता भागीदारी अधिनियम तथा प्रतिस्पर्धा अधिनियम से संबंधित विवरण क्रमशः अध्याय–IV और V मे दिया गया है।

**2.3.2** कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का प्रशासन महानिदेशक, कारपोरेट कार्य, संबंधित संयुक्त सचिवों, आर्थिक सलाहकार और लागत सलाहकार के पर्यवेक्षण के अधीन विभिन्न प्रभागों/अनुभागों/प्रकोष्ठों द्वारा किया जाता है। इन अनुभागों द्वारा किए जा रहे प्रमुख कार्यकलापों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैः

**2.3.3 कंपनी विधि–I** अनुभाग कंपनियों और सीमित देयता भागीदारियों के शासन संबंधी कानूनी ढांचे से संबंधित विधायी प्रक्रियाओ तथा इनके अंतर्गत नियमों, विनियमों और परिपत्रों की अधिसूचना से संबंधित कार्य देखता है।

**2.3.4 कंपनी विधि–II** अनुभाग क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदनों, जांच प्रतिवेदनों और तकनीकी संवीक्षा प्रतिवेदनों की जांच करता है। इन प्रतिवेदनों की जांच के पश्चात् अभियोजन के आदेश दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यह अनुभाग कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत धनराशि के दुरूपयोग अथवा अन्यत्र उपयोग से संबंधित शिकायतों और कंपनी के कुप्रबंधन आदि की जांच करता है।

**2.3.5 कंपनी विधि–III** अनुभाग (क) शेयरपूंजी में कटौती, (ख) तुलन पत्र और लाभ हानि विवरण का प्ररूप और विषयवस्तु, (ग) सरकारी कंपनियों के समामेलन/समझौतों की योजनाएं, (घ) कंपनियों के नाम के अनुमोदन और उनसे संबंधित मामलों के बारे में क्षेत्रीय निदेशकों/कंपनी रजिस्ट्रारों से प्राप्त पत्र (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8) तथा (ड.) लाइसेंस प्रदान करने, ऐसे लाइसेंस रद्द करने, संगत ज्ञापन और अनुच्छेद में परिवर्तन, छूट देने और इस प्रकार की कंपनियों से संबंधित मामलों के लिए क्षेत्रीय निदेशक/कंपनी रजिस्ट्रारों से प्राप्त पत्र (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8)।

**2.3.6 कंपनी विधि–IV** (विधायी) अनुभाग के प्रमुख कार्यों में ये कार्य शामिल हैं–

(क) पैरा–वार टिप्पणियों की जांच जिनमें भारत सरकार एक पक्ष है।

(ख) मंत्रालय के विभिन्न अनुभागों से प्राप्त अनुरोध पर सरकारी वकील नियुक्त करना।

(ग) उन सभी मुकद्दमों की मॉनिटरिंग जिनमें मंत्रालय एक पक्ष है।

(घ) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 399(4) के अधीन केंद्र सरकार को किए गए आवेदनों/याचिकाओं की जांच, और

(ड़) मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों के साथ–साथ अन्य मंत्रालयों द्वारा मांगे जाने पर कानूनी परामर्श देना।

**2.3.7 कंपनी विधि–V** (नीति) अनुभाग मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल समितियों और सचिवों की समिति के विचारार्थ नीतिगत मामलों से संबंधित कार्य करता है। यह अनुभाग संस्थानों को सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में घोषित करने; पूंजी बाजार, सेबी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, मनीलांड्रिंग, लेखांकन मानकों/आईएफआरएस के साथ समाभिरूण से संबंधित मुद्दों की देखरेख करता है। यह अनुभाग कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 1956 और एलएलपी अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्दिष्ट विभिन्न नियमों और प्रक्रियाओं के स्पष्टीकरण/सरलीकरण जारी करता है। यह अनुभाग कारपोरेट विधि के कार्यान्वयन में सहायता करने वाली विभिन्न योजनाएं शुरू करने, ई–गवर्नेस प्ररूप, सभी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देशों में समन्वय और सरकारी कंपनियों की वार्षिक आम बैठकों के आयोजन के स्थान में परिवर्तन आदि के लिए भी उत्तरदायी है।

**2.3.8 कंपनी विधि–VI** अनुभाग किसी कंपनी में प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति, यदि वह नियुक्ति कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–V के भाग–I के अनुरूप न हो तो उससे संबंधित सांविधिक प्रयोज्यताओं की देखरेख करता है। यह अनुभाग कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–V के साथ पठित धारा 196, 197 के अधीन सूचीबद्ध कंपनियों और किसी सूचीबद्ध कंपनी की अनुषंगी कंपनियों के प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और उन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक के भुगतान की भी देखरेख करता है जिसमें निर्धारित सीमा से अधिक भुगतान किए गए पारिश्रमिक की वसूली हटाना भी शामिल है।

**2.3.9 लागत लेखा शाखा** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अधीन निम्नलिखित कार्य करती है:

(i) लागत लेखा अभिलेखों और लागत लेखापरीक्षा के लिए नीति तैयार करना;

(ii) इनके संबंध में नियम तैयार और अधिसूचित करना (क) कंपनियों के किसी वर्ग द्वारा यथानिर्धारित लागत लेखा रिकॉर्ड रखना और (ख) कंपनियों के किसी वर्ग के लागत अभिलेखों की लेखापरीक्षा;

(iii) लागत अभिलेखों और लेखापरीक्षा नियमों को तर्कसंगत बनाना, जहां कहीं आवश्यक हो;

(iv) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 और अन्य संबंधित धाराओं तथा कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के

अनुपालन की निगरानी;

(v) चूक करने वाली कंपनियों और लागत लेखापरीक्षकों के विरूद्ध कंपनी रजिस्ट्रार के माध्यम से दंडात्मक/अभियोजन कार्रवाई शुरू करना;

(vi) लागत लेखापरीक्षा रिपोर्टों की पुनरीक्षा, जांच और अध्ययन तथा यदि आवश्यक हो तो कंपनियों से और अधिक सूचना या स्पष्टीकरण प्राप्त करनाः

(vii) इस प्रकार के अध्ययन के निष्कर्षों के बारे में संबंधित विभागों/संगठनों/नियामक निकायों को सूचित करना;

(viii) भारतीय लागत लेखाकार संस्थान द्वारा प्रस्तुत लागत लेखापरीक्षा मानकों की समीक्षा और उनके अनुमोदन हेतु केंद्र सरकार को सिफारिश करना।

**2.3.10 निवेशक शिकायत प्रबंधन प्रकोष्ठ (आईजीएमसी)** जिसे पहले निवेशक संरक्षण प्रकोष्ठ (आईपीसी) कहा जाता था, का कार्य निवेशक शिकायतों का निपटान करना है। इस अनुभाग का कार्य संबंधित कंपनियों के विरूद्ध निवेशकों द्वारा की गई शिकायतों का कंपनी रजिस्ट्रार के माध्यम से शीघ्र निपटान करना है। यह अनुभाग भारतीय रिजर्व बैंक, आर्थिक कार्य विभाग, सेबी आदि जैसे विभिन्न अन्य संगठनों/विभागों के साथ इन एजेंसियों के विरूद्ध प्राप्त निवेशक शिकायतों के समाधान हेतु समन्वय भी करता है। मुख्य रूप से आईजीएमसी में प्राप्त शिकायतें निम्नलिखित मुद्दों से संबंधित होती हैं:

क. वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होना

ख. लाभांश राशि न मिलना

ग. आवेदन राशि वापस न मिलना

घ. परिपक्व जमाराशि और उस पर ब्याज का भुगतान न होना

ड़. डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र न मिलना

च. शेयर अंतरण का पंजीकरण न होना

छ. शेयर प्रमाणपत्र जारी न किया जाना

ज. डिबेंचर प्रमाणपत्र न मिलना

झ. राईट्स/बोनस शेयर जारी न किया जाना

ञ. देरी से भुगतान मिलने पर ब्याज न देना

ट. डिबेंचर का पुनर्विमोचन और उस पर ब्याज का भुगतान न किया जाना

ठ. परिवर्तन पर शेयर प्रमाणपत्र प्राप्त न होना

**2.3.11 निवेशक/जमाकर्ता** अपनी शिकायतें मंत्रालय की वेबसाइट (www.mca.gov.in) का प्रयोग करते हुए एमसीए21 पोर्टल के माध्यम से संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार के पास ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। ऑनलाइन शिकायत की पावती प्रणाली में एक शिकायत संख्या द्वारा दी जाएगी जिसका प्रयोग भविष्य में शिकायत का अनुसरण करने के लिए किया जा सकता है। निवेशक शिकायतों के समाधान में फील्ड कार्यालयों के सक्रिय सहयोग के लिए क्षेत्रीय निदेशक कार्यालयों और कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालयों के साथ–साथ मंत्रालय के मुख्यालय में नामित अधिकारी की अध्यक्षता में एक नोडल टीम का गठन किया गया है। निवेशक अपनी शिकायतें कंपनी रजिस्ट्रार/क्षेत्रीय निदेशक स्तर पर संबंधित नोडल अधिकारियों को सीधे ही कर सकते हैं। यदि किसी निवेशक की शिकायत का एक समुचित अवधि समाप्त

हो जाने के बाद भी समाधान नहीं किया जाता है तो उसे मंत्रालय द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारियों के ध्यान में लाया जा सकता है। मंत्रालय के नोडल अधिकारियों की सूची कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर "निवेशक सेवाएं" शीर्षक के अधीन उपलब्ध हैं। निवेशक शिकायतों से निपटने के लिए एक समान प्रक्रिया अपनाने हेतु आईजीएम प्रकोष्ठ द्वारा एक मानक परिचालन प्रक्रिया तैयार की गई है।

**2.3.12 कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)** प्रकोष्ठ का गठन दिनांक 09 मई, 2014 को किया गया था और इसे निम्नलिखित दायित्व सौंपे गए हैं:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 के सीएसआर नियमों और अनुसूची–VII में संशोधन प्रस्तावित करना;

(ii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अधीन कारपोरेट सामाजिक दायित्व प्रावधानों, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–VII और कंपनी (सीएसआर नीति) नियमों के संबंध में पक्षकारों से प्राप्त संदर्भों पर स्पष्टीकरण जारी करना;

(iii) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा सीएसआर कार्यान्वयन के लिए लोक उद्यम विभाग और प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ समन्वय;

(iv) कंपनियों के सीएसआर व्यय से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण;

(v) कंपनियों द्वारा सीएसआर अनुपालन का नियमन;

(vi) लोक उद्यम विभाग, शीर्ष संघों, आईआईसीए और इस मंत्रालय के क्षेत्रीय निदेशक द्वारा आयोजित जानकारी कार्यशालाओं में भाग लेना।

**2.3.13 अनुसंधान एवं विश्लेषण प्रभाग (आरएंडए)** इन कार्यों के लिए उत्तरदायी है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 461 के अधीन यथानिर्धारित कंपनी अधिनियम, 2013 की कार्यप्रणाली और प्रशासन संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना और संबंधित वर्ष की समाप्ति के एक वर्ष के अंदर इसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करना;

(ii) मंत्रालय का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना और इसे मंत्रालय की अनुदान मांगों पर विचार करने हेतु वित्त संबंधी स्थायी समिति को प्रस्तुत करना;

(iii) अन्य बातों के साथ–साथ कारपोरेट निष्पादन, पूंजी बाजार सुधारों, विनिवेश और वृहद स्तर पर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से संबंधित मुद्दों पर जानकारी उपलब्ध कराना;

(iv) विनिवेश और सार्वजनिक आस्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) द्वारा गठित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के विनिवेश हेतु अंतःमंत्रालयी समूह (आईएमजी) में कारपोरेट कार्य मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करना;

(v) कारपोरेट डाटा प्रबंधन (सीडीएम) की योजना स्कीम के क्षमतानिर्माण घटक का प्रबंधन

(vi) मंत्रालय की स्ट्रैटेजिक योजना तथा वार्षिक कार्य योजना तैयार करना; और

(vii) मंत्रालय तथा नीति आयोग के मध्य संपर्क के रूप में कार्य करना।

**2.3.14 सांख्यिकी प्रभाग** निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी है:

(i) कारपोरेट क्षेत्र से संबंधित सांख्यिकी सूचना का केंद्रीय मंत्रालयों और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ), भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य संगठनों, जब कभी आवश्यक हो, के साथ आदान–प्रदान करना;

(ii) मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों के लिए रिपोर्टें तैयार करना;

(iii) एमसीए21 पोर्टल से प्राप्त कारपोरेट आंकड़ों में सुधार संबंधी मुद्दों की जांच और समाधान;

(iv) 'कारपोरेट डाटा प्रबंधन (सीडीएन)' की केन्द्रीय योजना स्कीम का कार्यान्वयन।

**2.3.15 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अनुभाग** अन्य देशों में समकक्ष संगठनों, कारपोरेट रजिस्टर्स फोरम (सीआरएफ), ग्लोबल रिपोर्टिगं इनिशिएटिव (जीआरआई), इंटरनेशनल एसोशिएशन ऑफ इंसोल्वेंसी रेग्यूलेटर्स (आईएआईआर), आर्गनाइजेशन फॉर इक्नोमिक कॉआपरेशन एंड डेवल्पमेंट (ओईसीडी), अंतर्राष्ट्रीय समझौता ज्ञापनों का अनुमोदन आदि के साथ समन्वय एवं विचार–विमर्श आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

**2.3.16 आरटीआई मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ** सूचना का अधिकार अधिनियम से जुड़ी सभी सूचनाओं का भंडार होने के साथ–साथ आवेदक/अपीलकर्ता और केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/अपील प्राधिकारी के मध्य संपर्क का कार्य भी करता है। यह प्रकोष्ठ आरटीआई अधिनियम की विभिन्न धाराओं, जिनके तहत सरकारी अधिकारी को दायित्व सौंपा गया है, के कार्यान्वयन के लिए भी उत्तरदायी है। यह प्रकोष्ठ सभी आरटीआई आवेदनों और अपीलों की प्रगति की मॉनिटरिंग भी करता है ताकि निर्धारित समय सीमा में इनका निपटान सुनिश्चित किया जा सके।

**2.3.17 महिला बजट प्रकोष्ठ (जीबीसी)** सरकारी बजट में महिलाओं के लिए विश्लेषण के एकीकरण में सहायता करने के लिए है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय के महिला बजट प्रकोष्ठ में कारपोरेट कार्य मंत्रालय, मंत्रालय की विभिन्न शाखाओँ के साथ–साथ क्षेत्रीय कार्यालयों और संबद्ध कार्यालय तथा व्यावसायिक संस्थानों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व संबंधी सूचना/डाटाबेस प्रणाली तैयार करने के लिए कदम उठाए हैं। कारपोरेट कार्य मंत्रालय में जीबीसी का उद्देश्य कारपोरेट क्षेत्र की नीतियों का महिलाओं की समानता और सशक्तीकरण के मुद्दों पर प्रभाव का मूल्यांकन करने के साथ–साथ बजट आबंटन में महिलाओं के प्रति बढ़ती हुई जागरूकता को बढावा देना है।

**2.3.18 राजभाषा अनुभाग** राजभाषा अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का कार्यान्वयन करता है; राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजातों का अंग्रेजी से हिंदी और विलोमतः अनुवाद तथा साथ ही संसदीय राजभाषा समिति से संबंधित कार्य देखता है। यह अनुभाग राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों के आयोजन और हिंदी सलाहकार समिति द्वारा लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। यह हिंदी शिक्षण योजना के प्रशासन के साथ–साथ हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन करता है। यह अनुभाग मंत्रालय में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए सुझाव भी देता है।

**2.3.19 सतर्कता अनुभाग** कर्मचारियों के विरूद्ध शिकायतों के संबंध में तथ्यात्मक सूचना प्राप्त करता है, भ्रष्टाचार में शामिल कथित कर्मचारियों के विरूद्ध प्रारंभिक जांच करता है। यह अनुभाग भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम करने और सरकारी कर्मचारियों में सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान प्रक्रियाओं को सरल एवं कारगर बनाने के लिए भी प्रयास करता है। इस दिशा में केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार मंत्रालय के 45 पदों की पहचान संवेदनशील पदों के रूप में की गई ताकि इन पदों पर नियुक्त अधिकारियों को प्रत्येक 2/3 वर्षों के बाद रोटेट किया जा सके।

**2.3.20 प्रशासन–I अनुभाग** केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत मुख्यालय के सभी समूह 'क' अधिकारियों; मुख्यालय में भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस), भारतीय सांख्यिकी सेवा (आईएसएस), भारतीय लागत एवं लेखांकन सेवा (आईसीएएस) और केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (सीएसओएल) के संवर्ग पदों के सभी समूह 'क' अधिकारियों; केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के अधिकारियोंः केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) के अधिकारियों; केंद्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा (सीएससीएस) के अधिकारी; सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ख' और 'ग' पदों; केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के संवर्ग पदों से संबंधित स्थापना मामलों की देखरेख करता है। यह अनुभाग कारपोरेट कार्य मंत्री के कार्यालय, कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री के कार्यालय से संबंधित पदों के सृजन और स्थापना मामले तथा आईसीएलएस को छोड़कर मुख्यालय में पदों का सृजन/जारी रखने के साथ–साथ अन्य प्रशासनिक कार्य भी करता है।

**2.3.21 प्रशासन–II अनुभाग** भारतीय कारपोरेट विधि सेवा (आईसीएलएस) (समूह 'क') और आईसीएलएस के अन्य अधीनस्थ ग्रेड के अधिकारियों के सभी स्थापना संबंधी मामलों, आईसीएलएस अधिकारियों और इसके फीडर संवर्ग का प्रशिक्षण और क्षमतानिर्माण, आईसीएलएस और इसके फीडर संवर्ग के भर्ती/सेवा नियम तैयार करना/संशोधित करना, आईसीएलएस और इसके अधीनस्थ ग्रेड में समूह 'क' और 'ख' अधिकारियों की भर्ती, आईसीएलएस और इसके अधीनस्थ ग्रेड में अधिकारियों की समीक्षा करना ताकि मूल नियम 56(ञ) के अधीन सरकारी कर्मचारियों में सत्यनिष्ठा सुनिश्चित की जा सके और संवेदनशील पदों की पहचान की जा सके।

**2.3.22 प्रशासन–III अनुभाग** गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ) के सभी नीति संबंधी मुद्दे और गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय से संबंधित स्थापना, कार्मिक तथा वित्तीय मामले जिनके लिए केन्द्र सरकार का अनुमोदन अपेक्षित है।

**2.3.23 प्रशासन–IV अनुभाग** कंपनी विधि बोर्ड (सीएलबी), राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) से संबंधित स्थापना, कार्मिक एवं वित्तीय मामलों को देखता है जिनके लिए केंद्र सरकार का अनुमोदन अपेक्षित है।

**2.3.24 प्रतिस्पर्धा अनुभाग** प्रतिस्पर्धा अधिनियम के प्रवर्तन संबंधी मामले; प्रतिस्पर्धा नीति तैयार करना; भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण के सभी स्थापना, कार्मिक एवं वित्तीय मामले जिनके लिए केंद्र सरकार का अनुमोदन अपेक्षित है; भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण में अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति और उनकी सेवा शर्तों से संबंधित मामले देखता है।

**2.3.25 आधारिक संरचना अनुभाग** (क) मंत्रालय

और इसके फील्ड कार्यालयों के लिए भूमि और भवन की खरीदय (ख) मंत्रालय और इसके फील्ड कार्यालयों के लिए सभी भवनों (पुराने और नए) के निर्माण/ मरम्मत/रख–रखाव के लिए पूंजीगत निर्माण कार्य; और (ग) मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में किराए पर भवन लेने के लिए समझौतों को अंतिम रूप देना।

## संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय/संगठन

## राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण

**2.4.1** कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 408 के अधीन 01 जून, 2016 से राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) का गठन किया है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 466(1) के प्रभाव से कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अधीन गठित तत्कालीन कंपनी विधि बोर्ड उस तारीख से ही विघटित हो गया है।

## राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण

**2.4.2** कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के आदेशों के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 410 के अधीन दिनांक 01 जून, 2016 की अधिसूचना संख्या 1933(अ) द्वारा राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) का गठन किया है। इससे पहले प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अधीन 14 अक्तूबर, 2003 को प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण (कॉम्पैट) का गठन किया गया था जिसके पास भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के निर्देशों या निर्णयों के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई करने और आयोग के निर्णयों से उत्पन्न होने वाले हर्जाने के दावों पर निर्णय करने का अधिकार था। भारतीय प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण को 26 मई, 2017 से समाप्त कर दिया गया है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अधीन अपील से संबंधित कार्य अब एनसीएलएटी को भेजे जाएंगे।

## भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

**2.5.1** भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अंतर्गत इस अधिनियम के प्रशासन, कार्यान्वयन और प्रवर्तन के लिए मार्च, 2009 में विधिवत् रूप से की गई थी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के उद्देश्य इस प्रकार हैः

क) प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले व्यवहारों को रोकना;

ख) बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढावा देना और सुस्थिर बनाना;

ग) उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण; और

घ) व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना।

**2.5.2** भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को विलयन या संयोजन नियमित करने का और यदि उसका यह मत हो कि किसी विलयन या समामेलन का भारत में प्रतिस्पर्धा पर 'महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव' है या पड़ने की संभावना है तो समाप्त करने का अधिकार है।

## गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय

**2.6.1** गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय की स्थापना दिनांक 02 जुलाई, 2003 के एक संकल्प द्वारा की गई थी और इसे अब सांविधिक दर्जा दे दिया गया है। यह एक बहु विषयक जांच एंजेसी है जिसमें बैंकिंग, पूंजी बाजार, कारपोरेट, विधि फारेंसिक जांच, कराधान, सूचना प्रौद्योगिकी जैसे विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञ

मिलकर कारपोरेट धोखाधड़ी का पता लगाते हैं। इसका अध्यक्ष निदेशक है जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर का है। निदेशक की सहायता के लिए अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, वरिष्ठ सहायक निदेशक, सहायक निदेशक, अभियोजक और अन्य सचिवीय स्टाफ है। एसएफआईओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके पांच क्षेत्रीय कार्यालय मुबंई, नई दिल्ली, चैन्नई, हैदराबाद और कोलकाता में हैं। एसएफआईओ के लिए नए भर्ती नियम अधिसूचित किए जा रहे हैं जिससे समय के साथ एक स्थायी संवर्ग का सृजन हो सकेगा।

## भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान

**2.7.1** भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) की स्थापना एक 'विचार मंडल', कार्य अनुसंधान, सेवा सुपुर्दगी और क्षमता निर्माण संस्थान के रूप में की गई है जिसका उद्देश्य सरकार, कारपोरेट संस्थानों और अन्य पक्षकारों के बीच भागीदारी के लिए एक मंच उपलब्ध कराते हुए वन स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करना है। आईआईसीए का अध्यक्ष एक महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। सितंबर, 2008 में एक समिति के रूप में अपनी स्थापना से लेकर अब तक संस्थान ने अपने अधिदेश का अनुपालन करने के लिए अनेक कदम उठाए है। इसके सभी पांच स्कूल और पांच केन्द्र शुरू हो गए हैं। यह संस्थान कारपोरेट क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों जैसे कारपोरेट शासन, कारपोरेट सामाजिक दायित्व, कंपनी निदेशक, स्वतंत्र निदेशक, प्रतिस्पर्धा मुद्दों आदि विषयों पर विभिन्न पाठ्यक्रम, सेमिनार, कार्यशालाओं आदि का आयोजन करने हेतु एक महत्वपूर्ण संस्थान बन गया है।

**2.7.2** मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2019–20 के लिए आईआईसीए स्कीम को 18.00 करोड़ रुपये की सरकारी सहायता के साथ जारी रखने हेतु अनुमोदन दिया है।

## विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण

**2.8.1** विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के अधीन निवेशक शिक्षा, जागरूकता और संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। यह निधि भारत की संचित निधि के अधीन रखी जाती है। आईईपीएफ में जमा कराने हेतु अपेक्षित राशि के ब्यौरे और इसके उपयोग से संबंधित प्रावधान कंपनी अधिनियम, 2013 में किए गए हैं। इसके अतिरिक्त कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के अनुसार सभी शेयर जिनके संबंध में लगातार सात वर्ष या अधिक समय से लाभांश का भुगतान या दावा नहीं किया गया है, उन्हें आईईपीएफ में अंतरित कर दिया जाएगा।

**2.8.2** इस निधि के प्रशासन के लिए भारत सरकार ने कंपनी अधिनियम की धारा 125 की उपधारा (5) के अधीन विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण का गठन किया है। आईईपीएफए में एक अध्यक्ष, सात सदस्य और एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। सचिव, एमसीए इस अधिकरण के पदेन अध्यक्ष हैं। केन्द्र सरकार ने विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, बैठकों का आयोजन और पदों एवं अधिकारियों के लिए प्रावधान) नियम, 2016 अधिसूचित किए हैं।

**2.8.3** विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण को दावा न किए गए लाभांश, परिपक्व जमा राशि, परिपक्व डिबेंचर आदि को लौटाने और

प्रिंट तथा इलेक्ट्रोनिक मीडिया से निवेशक जागरूकता कार्यक्रम चलाने का दायित्व सौंपा गया है।

## व्यावसायिक संस्थान

**2.9.1** यह मंत्रालय संसद के अधिनियमों के तहत गठित तीन व्यवसायिक संस्थानों नामतः भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के माध्यम से लेखाकारिता (चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949); लागत लेखाकारिता (लागत एवं संकर्म लेखाकार अधिनियम, 1959); और कंपनी सचिव (कंपनी सचिव अधिनियम, 1980); के व्यवसायों का नियमन करने वाले कानूनों का प्रशासन करता है।

*******

# अध्याय–III

# कंपनी अधिनियम और इसका प्रशासन

**3.1.1** कंपनी अधिनियम कंपनियों के निगमन, प्रचालन, शासन, परिसमापन और बंद करने सहित व्यापक कार्यकलापों का विनियमन करता है। कारपोरेट शासन का विनियमन, और कंपनियों के शेयरधारकों के प्रति उनका दायित्व, अधिमान शेयर जारी करने का शासन करने वाली शर्तें, निजी स्थापन और लाभांश के वितरण, सांविधिक प्रकटीकरण दायित्व, निरीक्षण, जांच और प्रवर्तन के अधिकार और कंपनी प्रक्रियाएं जैसे विलय/समामेलन/व्यवस्था/पुनर्गठन आदि जैसे विषय अधिनियम के मुख्य केन्द्र बिन्दु हैं।

## नियमों एवं प्रक्रियाओ को सरल बनाना

**3.2.1** दिनांक 01 जनवरी, 2017 से 31 दिसम्बर, 2017 के दौरान मंत्रालय ने 42 अधिसूचनाएँ और 10 सामान्य परिपत्र जारी किए (क्रमशः **अनुलग्नक– III और IV**) ।

## कंपनियों का पंजीकरण

**3.3.1** दिनांक 31 दिसम्बर, 2017 की स्थिति के अनुसार देश में कुल 17,20,682 कंपनियां रजिस्ट्रीकृत थीं। इनमें से, 11,43,772 कंपनियां (जिसमें 10,70,383 प्राइवेट कंपनियों और 73,389 पब्लिक कंपनियां सहित सक्रिय थीं)। सक्रिय कंपनियों में अधिकांश (लगभग 72.5%) मुख्यतया चार शीर्षों के अधीन शामिल कार्यकलापों में प्रचालन कर रही थीं, अर्थात् 'व्यापार सेवाएं' (29.9%), 'विनिर्माण' (20.2%), 'व्यवसाय' (13.2%) और 'निर्माण' (9.1%) । व्यापार सेवाओं में अन्य बातों के साथ–साथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग, डाटा प्रोसेसिंग, अनुसंधान और विकास, विधि, लेखांकन और लेखापरीक्षा सेवाएं, व्यवसाय और प्रबंधन परामर्श और विज्ञापन शामिल हैं। विनिर्माण में अन्य बातों के साथ–साथ खाद्य उत्पाद, वस्त्र, कागज का निर्माण, धात्विक और अधात्विक खनिज उत्पाद, रसायन और पेट्रो रसायन, रेडियो, टेलिविजन, परिवहन उपकरण आदि शामिल हैं।

**3.3.2** दिनांक 31 दिसम्बर, 2017 की स्थिति के अनुसार सक्रिय कंपनियों का आर्थिक क्षेत्र–वार वितरण और उनकी प्राधिकृत पूंजी **तालिका 3.1** में दी गई है।

**तालिका 3.1:**

**दिनांक 31 दिसंबर, 2017 की स्थिति के अनुसार सक्रिय कंपनियों का आर्थिक क्षेत्र–वार वितरण**

**(प्राधिकृत पूंजी करोड़ रु. में)**

| क्र. सं. | आर्थिक कार्यकलाप | प्राइवेट | | पब्लिक | | कुल | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | संख्या | प्राधिकृत पूंजी | संख्या | प्राधिकृत पूंजी | संख्या | प्राधिकृत पूंजी |
| **I** | **कृषि और संबद्ध कार्यकलाप** | **29,941** | **22,134.14** | **3,036** | **33,668.19** | **32,977** | **55,802.33** |
| **II** | **उद्योग** | **3,33,381** | **9,48,277.20** | **27,619** | **22,50,264.93** | **3,61,000** | **31,98,542.13** |
| **1** | **विनिर्माण** | 2,11,441 | 5,39,321.02 | 19,915 | 8,43,610.15 | 2,31,356 | 13,82,931.17 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | निर्माण | 98,960 | 214,125.48 | 5,078 | 250,840.06 | 1,04,038 | 4,64,965.53 |
| 3 | बिजली, गैस और जल आपूर्ति | 11,972 | 1,56,382.59 | 1,824 | 10,95,984.69 | 13,796 | 12,52,367.27 |
| 4 | खनन और उत्खनन | 11,008 | 38,448.12 | 802 | 59,830.04 | 11,810 | 98,278.15 |
| **III** | **सेवाएं** | **6,90,848** | **9,71,418.26** | **39,483** | **15,34,762.49** | **7,30,331** | **25,06,180.74** |
| 1 | व्यवसाय सेवाएं | 3,31,052 | 3,61,288.95 | 11,092 | 5,60,040.57 | 3,42,144 | 9,21,329.52 |
| 2 | व्यापार | 1,44,527 | 2,05,214.27 | 6,770 | 1,11,818.89 | 1,51,297 | 3,17,033.16 |
| 3 | स्थावर संपदा व किराए | 70,728 | 88,835.59 | 3,713 | 38,237.38 | 74,441 | 1,27,072.97 |
| 4 | सामुदायिक, निजि और सामाजिक सेवाएं | 63,246 | 77,637.05 | 4,105 | 1,36,777.99 | 67,351 | 2,14,415.03 |
| 5 | परिवहन, भंडारण और संचार | 47,861 | 1,70,946.84 | 12,051 | 3,43,145.09 | 59,912 | 5,14,091.93 |
| 6 | वित्त | 32,738 | 64,922.23 | 1,582 | 2,96,138.21 | 34,320 | 3,61,060.44 |
| 7 | बीमा | 696 | 2,573.33 | 170 | 48,604.36 | 866 | 51,177.69 |
| **IV** | **अन्य** | **16,213** | **41,865.06** | **3,251** | **1,37,759.79** | **19,464** | **1,79,624.86** |
| | कुल योग (I+II+III+IV) | **10,70,383** | **19,83,694.66** | **73,389** | **39,56,455.40** | **11,43,772** | **59,40,150.06** |

चार्ट 3.1 दिनांक **31 दिसम्बर, 2017** की स्थिति के अनुसार सक्रिय कंपनियों का क्षेत्र–वार वितरण दर्शाता है।

**चार्ट 3.1**

**सक्रिय कंपनियों का क्षेत्रवार वितरण (31.12.2017 तक)**

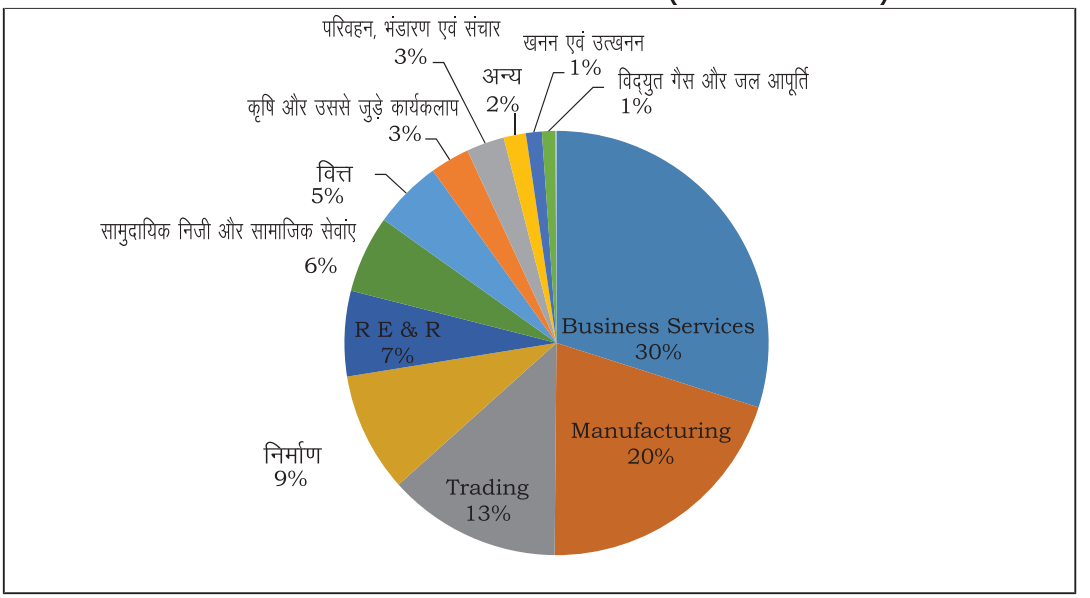


'ईजी एंड डब्ल्यू' विद्युत, गैस और जल आपर्ति,'टीएस एंडी सी' परिवहन, भंडारण एंव संचार है, 'सीपीएंडएस' सामुदायिक निजी और सामाजिक सेवाएं हैं, आरई एंड आर' स्थावर संपदा और किराए है

3.3.3 दिनांक 01 जनवरी, 2017 से 31 दिसम्बर, 2017 के दौरान कुल 107,487 कंपनियां पंजीकृत हुईं जिनकी सामूहिक प्राधिकृत पूंजी 26,220.17 करोड़ रूपए थी। इनमें से, 124 सरकारी कंपनियां थीं जिनकी प्राधिकृत पूंजी 6,168.48 करोड़ रुपए थी और 107,487 गैर–सरकारी कंपनियां थी जिनकी प्राधिकृत पूंजी 20,051.69 करोड़ रुपए थी।

## एक व्यक्ति कंपनी

**3.3.4** कंपनी अधिनियम, 2013 से भारत में एक व्यक्ति कंपनी (ओपीसी) की संकल्पना की शुरूआत हुई है। दिनांक 01 जनवरी, 2017 से 31 दिसम्बर, 2017 के दौरान 130.81 करोड़ रुपए की सामूहिक प्राधिकृत पूंजी के साथ कुल 5,788 एक व्यक्ति कंपनियां पंजीकृत की गईं। चार्ट 3.2 दिनांक 01 जनवरी, 2017 से 31 दिसम्बर, 2017 के दौरान पंजीकृत एकल व्यक्ति कंपनियों का क्षेत्र–वार वितरण दर्शाता है।

**चार्ट 3.2**
**एक व्यक्ति कंपनियों (ओपीसी) का क्षेत्र–वार वितरण**

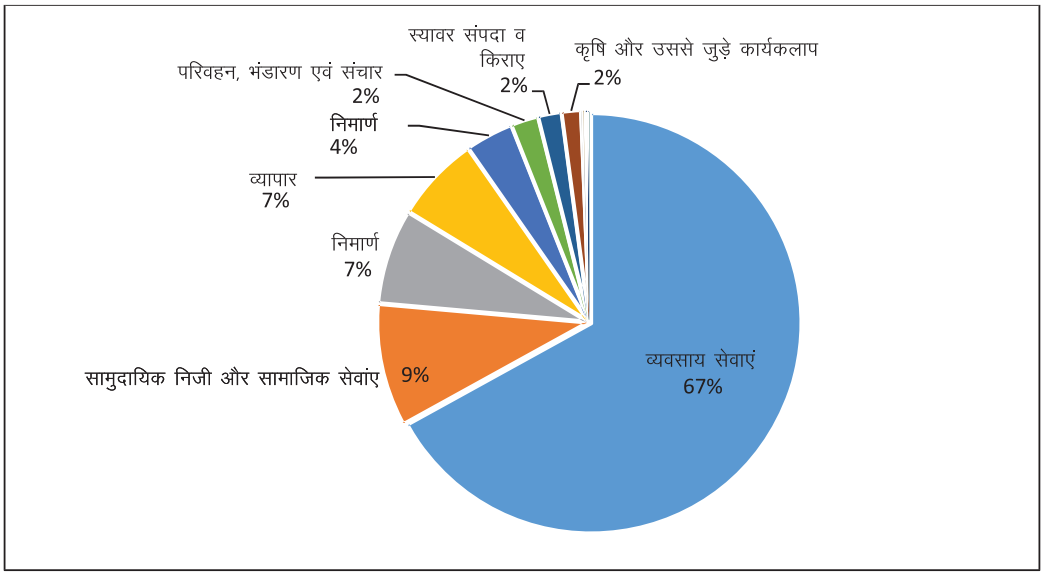


'ईजी एंड डब्ल्यू' विद्युत, गैस और जल आपूर्ति,' टीएस एंड सी' परिवहन, भंडारण एंव संचार, 'सीपीएंडएस' सामुदायिक है, निजी और सामाजिक सेवाएं, आरई एंड आर' स्थावर संपदा और किराए है।

## विदेशी कंपनियां

**3.3.5** दिनांक 31 दिसम्बर, 2017 की स्थिति के अनुसार पंजीकृत विदेशी कंपनियों की कुल संख्या 4,625 थीं जिसमें से 3,380 विदेशी कंपनियां सक्रिय थी। दिनांक 01.01.2017 से 31.12.2017 के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन कुल 151 विदेशी कंपनियां रजिस्ट्रीकृत की गईं।

## प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और उनका पारिश्रमिक

**3.4.1** कारपोरेट कार्य मंत्रालय किसी कंपनी के प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक यदि यह नियुक्ति कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 196, 197 के अधीन अनुसूची–V के भाग–I के अनुरूप न हो, तो उससे संबंधित सांविधिक आवेदनों का निपटान करता है जिसमें ऐसे प्रबंधकीय कार्मिकों को कंपनी

अधिनियम, 2013 के अंतर्गत विहित सीमा से अधिक दिए गए पारिश्रमिक की वसूली नहीं करना भी शामिल है।

**3.4.2** कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–V के साथ पठित धारा 196 और 197 के अधीन 01 जनवरी, 2016 से 30 नवम्बर, 2017 के दौरान कुल 296 आवेदन प्राप्त हुए और 30 नवम्बर, 2016 तक 323 आवेदन लंबित थे। कुल 619 आवेदनों में से, दिनांक 01 दिसम्बर, 2016 से 30 नवम्बर, 2017 के दौरान 392 आवेदन निपटाए गए और 30 नवम्बर, 2017 तक 227 आवेदन लम्बित थे।

## सरकारी कंपनियों का विलयन

**3.4.3** सरकारी कंपनियों के विलयन से संबंधित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 396 के तहत दिनांक 1 दिसम्बर, 2016 से 30 नवम्बर, 2017 तक की अवधि के दौरान केवल एक आवेदन प्राप्त हुआ। इस अवधि के दौरान किसी आवेदन का निपटान नहीं किया गया था।

## सरकारी कंपनियों का समामेलन

**3.4.4** सरकारी कंपनियों के समामेलन से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से धारा 232 के तहत दिनांक 1 दिसम्बर, 2016 से 30 नवम्बर, 2017 तक की अवधि के दौरान केवल 8 आवेदन प्राप्त हुए और दिनांक 30 नवम्बर, 2016 के अनुसार कोई आवेदन लंबित नहीं था। दिनांक 30 नवम्बर, 2017 के अनुसार, सभी 8 आवेदन लंबित थे।

## कंपनियों का परिसमापन

**3.4.5** दिनांक 01 दिसम्बर, 2016 के अनुसार, 5212 कंपनियां परिसमापनाधीन थीं; इनमें से 614 कंपनियां सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक रूप से बंद करने की प्रक्रियाधीन थीं, 3 कंपनियां लेनदारों की स्वेच्छा से परिसमापन में थी और 4,595 कंपनियां न्यायालय द्वारा बंद किए जाने के प्रक्रियाधीन थी। 01 जनवरी, 2016 से 30 नवम्बर, 2017 के दौरान कुल 392 कंपनियों का परिसमापन किया गया। 01 दिसम्बर, 2016 से 30 नवम्बर, 2017 के दौरान कुल 5,604 में से 419 कंपनियों का अंतिम रूप से विघटन किया गया। दिनांक 30 नवम्बर, 2017 तक 5,185 कंपनियां परिसमापनाधीन थी जिनमें से 562 कंपनियां सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक रूप से बंद करने, 2 कंपनी लेनदारों द्वारा स्वैच्छिक रूप से और 4,621 कंपनियां न्यायालय द्वारा बंद किए जाने की प्रक्रिया में थीं।

## वार्षिक साधारण बैठक के स्थान में परिवर्तन

**3.4.6** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96, जिसने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 166(2) को प्रतिस्थापित किया है, के अधीन वार्षिक साधारण बैठक का स्थान कंपनी के पंजीकृत कार्यालय स्थान के अलावा कहीं अन्यत्र परिवर्तित करने के लिए केन्द्रीय सरकार के पास अनुमोदन देने की शक्ति है।

## विलंब की माफी

**3.4.7** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 460(ख), जिसने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 637(ख) का स्थान लिया है, के अधीन कंपनी अधिनियम, 2013 के किसी उपबंध के अधीन रजिस्ट्रार के पास दायर किए जाने हेतु अपेक्षित कोई दस्तावेज जो विनिर्दिष्ट समय के भीतर दायर नहीं किया जाता है तो केन्द्रीय सरकार लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों के साथ विलंब के लिए क्षमा कर सकती है। दिनांक 01 दिसम्बर, 2016 से 30 नवम्बर, 2017 के दौरान कुल 2,139 आवेदन प्राप्त हुए और 01 दिसम्बर, 2016 तक 409 आवेदन लंबित थे। कुल 2,548 आवेदनों में से

2,109 आवेदनों का निपटान किया गया और दिनांक 30 नवम्बर, 2017 तक 439 आवेदन लंबित थे।

## संवीक्षा

**3.4.8** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 206 की उपधारा (1), (2) और (3) के तहत कंपनी रजिस्ट्रार को किसी कंपनी से संबंधित सूचना, स्पष्टीकरण या दस्तावेज मांगने का अधिकार है। दिनांक 01 दिसम्बर, 2016 से 30 नवम्बर, 2017 के दौरान मंत्रालय में 271 संवीक्षा रिपोर्टें प्राप्त हुईं।

## निरीक्षण

**3.4.9** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 206(5) कंपनी रजिस्ट्रारों या, केन्द्रीय सरकार द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत अधिकारियों को कंपनी अधिनियम, 1956 अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के उल्लंघन के लिए विशेष लेखापरीक्षा का आदेश देने के लिए कंपनी की लेखाबहियों और अन्य अभिलेखों की जांच करने, कंपनी के कार्यों की जांच का आदेश देने और अभियोजन चलाने का अधिकार देती है। मंत्रालय को दिनांक 01 दिसम्बर, 2016 से 30 नवम्बर, 2017 के दौरान 103 निरीक्षण रिपोर्टें प्राप्त हुईं।

## जांच

**3.4.10** कंपनी के कार्यों की जांच का आदेश कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 210 और धारा 212 के अधीन दिया जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा केंद्र/राज्य सरकार के विभागों से अनुरोध प्राप्त होने के साथ–साथ जनहित में स्वतः ही धारा 212 के अधीन गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ) को मामले सौंपे जा सकते हैं।

**3.4.11** मंत्रालय ने दिनांक 01 दिसम्बर, 2016 से 30 नवम्बर, 2017 की अवधि के दौरान एसएफआईओ और प्रादेशिक निदेशक कार्यालयों के माध्यम से 139 कंपनियों के मामले में जांच आदेश दिए। पिछले वर्षों में केंद्रीय सरकार द्वारा दिए गए जांच आदेशों में से वर्ष के दौरान 162 कंपनियों के मामलों में जांच पूरी कर ली गई है। दिनांक 30 नवम्बर, 2017 के अनुसार 262 कंपनियों के मामले में जांच की जा रही थी।

## अभियोजन

**3.5.1** कंपनी अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने पर कंपनी रजिस्ट्रारों द्वारा कंपनियों के विरूद्ध अभियोजन चलाए जाते हैं। दिनांक 01 जनवरी, 2017 के अनुसार विभिन्न कंपनी रजिस्ट्रारों द्वारा दायर 46,886 अभियोजन न्यायालयों में लंबित थे। वर्ष 2016–17 के दौरान (30 नवम्बर, 2017 तक) 4,775 नए अभियोजन दायर किए गए थे। दिनांक 30 नवम्बर, 2017 के अनुसार 51,661 मामलों में से, 4,703 अभियोजनों का निपटान किया गया और 46,958 अभियोजन लंबित थे।

## राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण

**3.6.1** राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) के गठन को दिनांक 1 जून,2016 को अधिसूचित किया गया है। इन निकायों का गठन कारपोरेट झगड़ों का अपेक्षाकृत शीघ्र समाधान करने और एजेंसियों की बहुलता को कम करके देश में 'ईज आफ डूइंग बिजनेस' का प्रवर्तन करने के लिए किया गया है। एनसीएलटी के गठन के साथ ही कंपनी विधि बोर्ड (सीएलबी) का विघटन कर दिया गया और सीएलबी में लंबित मामले एनसीएलटी को हस्तांतरित कर दिए गए।

**3.6.2** कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 और एसआईसीए (रूग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम) निरसन अधिनियम, 2003 को अधिसूचित किया है। इसके साथ, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन अपील अधिकरण का विघटन कर दिया गया और दिवाला और शोधन

अक्षमता संहिता, 2016 के भाग II के द्वारा या तहत प्रदत्त निर्णायक अधिकरण के क्षेत्राधिकार, शक्तियों और अधिकरण का प्रयोग करने के लिए एनसीएलटी की खंडपीठें नामित की हैं। दिनांक 7 दिसम्बर, 2016 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 119(अ) द्वारा कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने मध्यस्थता, समझौते, व्यवस्थाओं और पुनर्गठन से संबंधित कार्रवाइयों को एनसीएलटी की खंडपीठों में हस्तांतरित करने का लिए प्रावधान अधिसूचित किया है।

वर्ष के दौरान, एनसीएलटी में दो न्यायिक सदस्य नियुक्त किए गए हैं और एनसीएलएटी में दो न्यायिक सदस्य नियुक्त किए गए थे। वर्तमान में, एनसीएलटी में 16 सदस्य (न्यायिक) और 6 सदस्य (तकनीकी) हैं और एनसीएलएटी में 1 सदस्य (तकनीकी) और 2 सदस्य (न्यायिक) हैं। फरवरी, 2017 में एनसीएलटी की खंडपीठों के क्षेत्राधिकार में संशोधन करके एनसीएलटी की चंडीगढ़ खंडपीठ के साथ हरियाणा राज्य के क्षेत्राधिकार को आबंटित करते हुए अधिसूचना जारी की गई। खंडपीठों की सूची **अनुलग्नक–V** पर संलग्न है।

**3.6.3** कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने एनसीएलटी/एनसीएलएटी में ई–न्यायालयों और अन्य ई–गवर्नेंस समाधान लागू करने के लिए एनआईसी से प्राप्त एक प्रस्ताव को अनुमति दी है, जो कार्यान्वयन के अग्रिम स्तर पर है। सितम्बर, 2017 को प्रधान खंडपीठ, एनसीएलटी में साफ्टवेयर बीटा संस्करण को मुख्य योजना के रूप में प्रारंभ किया गया। इसे अन्य खंडपीठों में भी लागू किया जाएगा।

**3.6.4** इन निकायों में नियमित पदों का सृजन करने के लिए जून, 2017 में आदेश जारी किए गए हैं। तत्काल अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, एनसीएलटी और एनसीएलएटी, दोनों, में आउटसोर्स/संविदा आधार पर भी कर्मचारी उपलब्ध कराए गए हैं। तथापि, दिनांक 26 मई, 2017 से प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण बंद हो गया और सीसीआई के निर्णय के विरूद्ध अपीलों को अब एनसीएलएटी में दायर किया गया है।

**3.6.5** राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की अपनी वेबसाइट www.nclt.gov.in है जिस पर खंडपीठों के संगठन, कार्यप्रणाली, क्षेत्राधिकार, वादसूची, अधिकरण की खंडपीठों द्वारा पारित किए गए आदेश, कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 1956, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण नियम, 2016 आदि उपलब्ध हैं। सभी अंतरिम और अंतिम आदेशों तथा न्यायनिर्णयों की प्रतियां उक्त वेबसाइट पर अपलोड की जाती हैं जहां से हितधारक/व्यवसायिक उन्हें देख/डाउनलोड कर सकते हैं। यह वेबसाइट हितधारकों की सुविधा के लिए नियमित आधार पर अद्यतन की जाती है।

**3.6.6** कोई भी व्यक्तिगतरूप से या दूरभाष के माध्यम से राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण में संपर्क करता है तो उन्हें सभी आवश्यक सूचनाएं और दिशा–निर्देश उपलब्ध कराए जाते हैं। सुविधा केन्द्र और फाइलिंग काउंटर कार्यरत हैं। एक सुव्यवस्थित पुस्तकालय अधिवक्ताओं और व्यवसायिकों के प्रयोग के लिए उपलब्ध है।

**3.6.7** इसकी स्थापना के दिन, अर्थात् 1 जून, 2016 को एनसीएलटी के पास 5,345 मामले लंबित थे। तब से उसके पास 16,042 मामले और प्राप्त हुए हैं और इस तरह कुल 21,387 मामले हैं। दिनांक 30 नवम्बर, 2017 के अनुसार,13,307 मामलों के निपटान के बाद 8,080 मामले लंबित थे।

## राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण

**3.7.1** राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलटी) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 61 धारा 202 और धारा 211 के तहत एनसीएलटी द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपीलों

की सुनवाई हेतु अपील अधिकरण है।

**3.7.2** एनसीएलएटी वित्त अधिनयम, 2017 की धारा 172 द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 410 द्वारा दिनांक 26 मई, 2017 से प्रभावी संशोधन के अनुसार सीसीआई द्वारा जारी किसी दिशा–निदेश या लिए गए निर्णय या पारित किए गए आदेश के खिलाफ अपीलों की सुनवाई और निपटान करने के लिए भी अपील अधिकरण है।

**3.7.3** एनसीएलएटी के वर्तमान अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.जे. मुखोपाध्याय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं। माननीय श्री न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) ए.आई.एस. चीमा, पूर्व न्यायाधीश, मुम्बई उच्च न्यायालय और माननीय श्री न्यायमूर्ति (से.नि.) बनीलाल भट्ट, पूर्व न्यायाधीश, जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायिक सदस्य हैं। माननीय श्री बलविन्द्र सिंह भूतपूर्व उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तकनीकी सदस्य हैं।

**3.7.4** इस अधिकरण में भारत सरकार के संयुक्त निदेशक के दर्जे का रजिस्ट्रार का एक पद भी है। वर्तमान में, इस पद पर केरल उच्चतर न्यायिक सेवा से श्रीमती सी. एस. सुधा, जिला न्यायाधीश प्रतिनियुक्ति पर हैं। एनसीएलएटी पं. दीनदयाल अन्तोदय भवन, तीसरा तल, सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में संचालित है।

**3.7.5** एनसीएलएटी में दिनांक 30 नवम्बर, 2017 तक विभिन्न श्रेणियों (जैसे प्रतिस्पर्धा अधिनियम,2002 की धारा 53 ख के तहत अपीलें, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 53ढ़ के तहत प्रतिपूर्ति मामले, एमआरटीपी मामले, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 421 के तहत दायर मामले, दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 61 के तहत दायर मामले) के अंतर्गत कुल 1,316 मामले प्राप्त हुए हैं। दिनांक 30 नवम्बर, 2017 के अनुसार, इनमें से 1,052 मामलों का निपटान कर दिया गया है और 264 मामले लंबित हैं।

## गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ) द्वारा जांच और अभियोजन

### (क) जांच

**3.7.6** दिनांक 1 दिसम्बर, 2016 से 30 नवम्बर, 2017 तक की अवधि के दौरान एसएफआईओ द्वारा मंत्रालय को प्रस्तुत जांच रिपोर्ट का विवरण नीचे दिया गया है:

### (ख) अभियोजन

**3.7.7** दिनांक 1 दिसम्बर, 2016 से 30 नवम्बर, 2017 की अवधि के दौरान विभिन्न नामित न्यायालयों में दायर अभियोजनों की संख्या निम्नानुसार है :

**तालिका 3.3**
**विभिन्न नामित न्यायालयों में दायर अभियोजनों की संख्या**

| अवधि | दायर अभियोजनों की संख्या | | | दायर अभियोजनों की कुल संख्या |
|---|---|---|---|---|
| | कंपनी विधि / आईपीसी | आईसीएआई / आईसीएसआई | सीएलबी | |
| दिनांक 01 जनवरी, 2016 से 31 नवम्बर, 2016 तक | 23 | 6 | 0 | 29 |
| दिनांक 01 दिसम्बर, 2016 से 30 नवम्बर, 2017 तक | 21 | 19 | 0 | 40 |

## लागत लेखापरीक्षा

**3.8.1** इस अवधि के दौरान, कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा कंपनियों की कुछ श्रेणियों के लिए चरणबद्ध तरीके से इंडएएस अनिवार्य रूप से लागू करने से संबंधित अधिसूचना जारी करने के बाद लागत अभिलेखों/लागत विवरणों (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अनुसार व्यवस्थित) के साथ वित्तीय अभिलेखों/वित्तीय विवरणों की अनुरूपता के लिए कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा) नियम, 2014की पुनरीक्षा की गई थी। दिनांक 07 दिसम्बर, 2017 की अधिसूचना सं. 1498(अ) द्वारा आवश्यक संधोधन अधिसूचित किए गए।

**3.8.2** दिनांक 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन के बाद 'केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम 1985के निरसन के कारण 'केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम शीर्ष' को 'सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम शीर्ष' के साथ प्रतिस्थापित करते हुए दिनांक 20 दिसम्बर, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1526(अ) द्वारा कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के दूसरे संशोधन नियम, 2017 अधिसूचित किए गए थे।

**3.8.3** मंत्रालय को वर्ष 2016–17 के दौरान लागत लेखापरीक्षकों की नियुक्ति से संबंधित 8,822 ई–प्ररूप (50 प्ररूप 23ग और 8,772 प्ररूप सीआरए–2) प्राप्त हुए। वर्ष 2017–18 से दिनांक 30 नवंबर, 2017 तक 7,415 ई–प्ररूप (24 प्ररूप 23ग और 7,391 प्ररूप सीआरए–2) फाइल किए गए। ऐसी सभी फाइलिंग इसी वर्ष निपटा दी गई।

**3.8.4** साथ ही वर्ष 2016–17 और 2017–18 में दिनांक 30 नवंबर 2017 तक प्राप्त लागत लेखापरीक्षा रिपोर्टों की संख्या क्रमशः 7,080 (132–I– एक्सबीआरएल, और 6,948 सीआरए–4) और 5,227 (97–I– एक्सबीआरएल, और 5,130 सीआरए–4) थी।

**3.8.5** वर्ष 2016–17 के दौरान मंत्रालय ने कंपनियों द्वारा दायर 155 लागत लेखापरीक्षा रिपोर्टें विभिन्न प्रयोक्ता विभागों जैसे कि प्रशुल्क आयोग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, पाटनरोधी महानिदेशालय के साथ साझा की, वर्ष 2017–18 के दौरान 30 नवंबर 2017 तक साझा की गई ऐसी लागत लेखापरीक्षा रिपोर्टों की संख्या 71 थी।

*******

# अध्याय–IV
# सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) अधिनियम, 2008

**4.1.1** भारत में लगभग 95% औद्योगिक ईकाइयां छोटे एवं मध्यम उद्यम (एसएमई) है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार इन लघु एवं मध्यम उद्यमों में से 90% मालिकाना रूप से पंजीकृत है, लगभग 2% से 3% भागीदारी के रूप में एवं 2% से कम कंपनी के रूप में पंजीकृत है। एसएमई के मध्य कारपोरेट स्वरूप बहुत अधिक प्रचलित नहीं है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा संकलित आंकड़ों के विश्लेषण से यह पता लगता है कि कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत उच्च अनुपालन लागत छोटे एवं मध्यम उद्यमों को कारपोरेट रूप अपनाने में हतोत्साहित करती है। लेकिन मालिकाना या भागीदारी फर्म की कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी नहीं होती अतः बैंकों द्वारा उनकी साख का आकलन करना कठिन होता है और इसीलिए एसएमई क्षेत्र को कारपोरेट निकायों की तुलना में बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण एवं उधार सुविधाएं तुलनात्मक रूप से कम मिलती हैं।

**4.1.2** इस परिप्रेक्ष्य में एक नए कारपोरेट स्वरूप की जरूरत महसूस की गई जो लचीले, नए एवं कुशल तरीके से संयोजन, संगठन एवं प्रचालन हेतु व्यावसायिक विशेषज्ञता एवं उद्यमिता पहल–प्रयास के लिए एक ओर असीमित व्यक्तिगत देयता के साथ पारंपरिक भागीदारी का विकल्प उपलब्ध कराए वहीं दूसरी और सीमित देयता कंपनी को संविधि आधारित शासन संरचना उपलब्ध कराए। वैश्विक स्तर पर, विशेषकर इंग्लैड, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, सिंगापुर आदि देशों में सीमित देयता भागीदारियां (एसएलपी) विशेषकर सेवा उद्योग या व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अधिक पसंदीदा विकल्प है।

**4.1.3** अतः सरकार ने वैश्विक प्रतिस्पर्धा की चुनौतियों का सामना करने हेतु उद्यमियों, सेवा प्रदाताओं एवं व्यावसायिकों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की दृष्टि से भारत में व्यावसायिक संगठन के सीमित देयता भागीदारी स्वरूप को अनुमति दी है। संसद ने सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 अधिनियमित किया जिसे 09 जनवरी, 2009 को अधिसूचित किया गया और यह 31 मार्च, 2009 को लागू हुआ। संबद्ध नियम 01 अप्रैल, 2009 को अधिसूचित किए गए एवं पहली एलएलपी 02 अप्रैल, 2009 को पंजीकृत की गई।

**4.1.4** एलएलपी व्यवसाय निकाय का वह स्वरूप है जो व्यक्तिगत भागीदारों को भागीदारी फर्म में भागीदारों की संयुक्त एवं अनेक देयताओं से सुरक्षा प्रदान करता है। व्यवसाय की सामान्य स्थिति में भागीदारों की देयता भागीदारों की व्यक्तिगत संपत्तियों तक नहीं होती। यह कंपनी अपने नाम से किसी संविदा में शामिल हो सकती है या संपत्ति रख सकती है। एलएलपी के लिए सीमित देयता के लाभ के साथ–साथ, मानकों का अनुपालन करना भी आसान है। एलएलपी की कारपोरेट संरचना एवं सांविधिक प्रकटीकरण अपेक्षाएं बाजार में अधिक ऋण सुलभ कराती हैं। व्यवसाय के एलएलपी स्वरूप के प्रारंभ होने से विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी एवं बॉयोटेक्नोलॉजी क्षेत्रों जैसे ज्ञान आधारित उद्योगों में तथा अन्य सेवा प्रदाताओं एवं व्यावसायिकों के संबंध में उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

**4.1.5** दिनांक 11.06.2012 से एलएलपी रजिस्ट्रार के कार्य कंपनी रजिस्ट्रारों द्वारा किए जा रहे हैं। व्यक्ति

एवं कारपोरेट निकाय, भारतीय या विदेशी, एलएलपी में भागीदार हो सकते हैं। इनमें से कम से कम दो "पदनामित भागीदार" होने चाहिए और न्यूनतम एक व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई कारपोरेट निकाय भी पदनामित भागीदार हो सकता है और ऐसी स्थिति में कारपोरेट निकाय द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति पदनामित भागीदार के रूप में कार्य करेगा। एलएलपी को कारपोरेट निकाय का दर्जा प्राप्त है और उसे अपने सदस्यों से अलग विधिक मान्यता प्राप्त होगी और इसमें उत्तराधिकार सतत् होगा। भागीदारों में परिवर्तन से अप्रभावित हुए बिना एलएलपी अपना अस्तित्व बनाए रख सकती है।

**4.1.6** सीमित देयता भागिदारियों के लिए लेखाबहियों, प्रतिवर्ष रजिस्ट्रार के पास फाइल किए जाने वाले वार्षिक वित्तीय विवरण और ऋणशोधन विवरण का रखना अपेक्षित है। सीमित देयता भागीदारी स्वैच्छिक रूप से अथवा राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के आदेश पर बंद की जा सकती है।

**4.1.7** पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से, निगमन दस्तावेज, भागीदारों के नाम एवं उसमें परिवर्तन, यदि कोई किए गए हो, लेखा एवं ऋणशोधन विवरण एवं वार्षिक विवरण किसी भी व्यक्ति द्वारा विहित शुल्क की अदायगी पर देखे जा सकते हैं। केन्द्र सरकार को एक निरीक्षक की नियुक्ति करके किसी एलएलपी के कार्यों की जांच यदि आवश्यक हो तो करने का अधिकार है।

**4.1.8** किसी फर्म, प्राइवेट कंपनी या असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी को अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप एलएलपी में परिवर्तित किया जा सकता है। कारपोरेट कार्यों जैसे विलय, समामेलन आदि के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।

**4.1.9** पक्षकारों को परिचालन सुविधा प्रदान करने और उसे बढ़ाने तथा रजिस्ट्री संबंधी सभी कार्यों को एक स्थान पर करने के लिए सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी), ई गवर्नेंस पहल को 11.06.2012 से एमसीए–21 के साथ एकीकृत किया गया। इस एकीकरण से एलएलपी फार्मों की फाइलिंग तथा अनुमोदन एमसीए–21 पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है और पक्षकार एलएलपी फार्मों की फाइलिंग जिसमें क्रेडिट कार्ड भुगतान के अतिरिक्त ऑनलाइन भुगतान अथवा नामित बैकों से इंटरनेट बैकिंग का उपयोग शामिल है, के लिए एमसीए–21 की सभी मौजूदा सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं।

**4.1.10** इस अवधि के दौरान निम्नलिखित अधिसूचनाएं/परिपत्र जारी किए गए थे :

(i) दिनांक 16 मई, 2016 की अधिसूचना सं. सा. का.नि. 470(अ) जारी की गई और इस अधिसूचना द्वारा एलएलपी नियम, 2009 के नियम 37 को संशोधित किया गया और नाम हटाने के लिए रजिस्ट्रार को आवेदन करने हेतु एलएलपी प्ररूप–24 संशोधित किया गया।

## सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी)

**4.1.11** दिनांक 31 दिसम्बर, 2017 के अनुसार देश में 1,13,726 सीमित देयता भागीदारियां पंजीकृत की गईं और उनमें से 1,10,420 सीमित देयता भागीदारियां सक्रिय थीं। दिनांक 01 जनवरी, 2017 से 31 दिसम्बर, 2017 तक 34,150 नई सीमित देयता भागीदारियां निगमित की गईं।

*******

# अध्याय–V

# प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 और अन्य कानून

## प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 और आयोग की स्थापना

**5.1.1** संसद ने भारत में (क) प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले व्यवहारों को रोकने के लिए; (ख) बाजारों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और बनाए रखने के लिए; (ग) उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए; और (घ) बाजारों में अन्य भागीदारों द्वारा व्यापार करने की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने हेतु और उनसे संबंधित या प्रासंगिक मामलों के उद्देश्यों के साथ प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 को अधिनियमित किया। प्रतिस्पर्धा अधिनियम के चार स्तंभ, जो एक दूसरे को सुदृढ़ करते हैं, निम्नलिखित हैं:–

(i) गुटबंदी जैसे प्रतिस्पर्धा रोधी समझौतों का निषेध जो व्यापार की स्वतंत्रता को बाधित करते हैं और वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन व वितरण सीमित करके तथा सामान्य से अधिक मूल्य निर्धारित करके उपभोक्ताओं को हानि पहुंचाते हैं;

(ii) प्रभुत्वपूर्ण फर्म के अनुचित व्यवहार का निषेध जो अपनी प्रभुत्वपूर्ण स्थिति से बाजार को प्रतिबंधित कर सकते हैं और अनुचित व भेदभावपूर्ण शर्तें रख सकते हैं;

(iii) प्रतिस्पर्धी बाजारों की सुरक्षा के लिए बड़े निगमों के संयोजन (संयोजनों) का नियमन; तथा

(iv) प्रतिस्पर्धा–समर्थन को अनिवार्य करना।

**5.1.2** आयोग की स्थापना वर्ष 2003 में की गई और इसका प्रवर्तन और नियामक शक्तियां क्रमशः दिनांक 20 मई, 2009 और 1 जून, 2011 को विश्वास–विरोधी प्रवर्तन और संयोजनों के विनियमन से संबंधित अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों के बाद प्राप्त हुई।

**5.1.3** प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के गठन का प्रावधान है जिसमें एक अध्यक्ष और न्यूनतम दो तथा अधिकतम छः सदस्य हैं। अधिनियम के प्रशासन, कार्यान्वयन और प्रवर्तन के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन मार्च, 2009 में किया गया। इसके अतिरिक्त, अधिनियम में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के आदेशों के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई व उनके निपटान के लिए तथा आयोग के निर्णय के परिणामस्वरूप मिलने वाले प्रतिपूर्ति के दावों का निर्णय करने के लिए प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण (कॉम्पैट) की स्थापना का प्रावधान है। वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के संशोधन के अनुसरण में, प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण (कॉम्पेट) के कार्यों का राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण के साथ विलय कर दिया गया है। इस प्रकार, पूर्व अधिकरण समाप्त कर दिया गया है और अब इस आयोग के आदेशों के विरूद्ध सभी प्रथम अपीलें राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) के समक्ष रखी जाती हैं।

**5.1.4** भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन (दिनांक 31 दिसम्बर, 2017 की स्थिति के अनुसार) इस प्रकार है:

1. श्री देवेंद्र कुमार सीकरी–अध्यक्ष
2. श्री एस.एल.बुनकर–सदस्य

3. श्री सुधीर मित्तल – सदस्य

4. श्री ऑगस्टाइन पीटर – सदस्य

5. श्री यू.सी.नाहटा – सदस्य

6. श्री जी.पी. मित्तल – सदस्य

## आयोग द्वारा मामलों का निपटान

**5.2.1** दिनांक 01 जनवरी, 2017 से 30 दिसम्बर, 2017 की अवधि के दौरान सीसीआई द्वारा किए गए विभिन्न कार्यकलापों का विवरण निम्नलिखित हैः–

## प्रवर्तन

**5.2.2** आयोग को अधिनियम की धारा 19(1) (ख) के तहत एक (1) संदर्भ मामले और धारा 19(1) के तहत छः स्वतः मामलों सहित दिनांक 1 जनवरी, 2017 से 31 दिसम्बर, 2017 की अवधि के दौरान विभिन्न निवेदकों से प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 19(1)(क) के तहत 76 मामले प्राप्त हुए। महानिदेशक द्वारा आयोग को अधिनियम की धारा 26(1) के तहत 28 मामलों की जांच के आदेश दिए गए हैं। इस अवधि के दौरान, आयोग ने सभी तथ्यों और सबूतों पर विचार करने के बाद अधिनियम की धारा 26(2) के तहत प्रथमदृष्टया स्तर पर 55 मामलों का निर्णय भी किया।

**5.2.3** कुल मिलाकर दिनांक 20 मई, 2009 से 31 दिसम्बर, 2017 तक प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 19(1) के तहत 935 मामले प्राप्त हुए। आयोग ने 707 मामलों का अंतिम रूप से निपटान किया। कुल 395 मामले महानिदेशक, सीसीआई को जांच के लिए भेजे गए। महानिदेशक, सीसीआई ने 272 मामलों के संबंध में जांच रिपोर्टें प्रस्तुत की। शेष मामलों की जांच चल रही है।

**5.2.4** वर्ष 2017 के दौरान, आयेाग ने प्रतिस्पर्धा आयोग की धारा 27, 48 और 43 (क) के तहत 16 मामलों में कुल 314.63 करोड़ रूपये का जुर्माना लगाया।

**5.2.5** वर्ष के दौरान लगाए गए जुर्माने में सीमेंट मामले (2013 का संदर्भ 5) और ह्यूंडई मोटर इंडिया लि. (2014 का 36 और 82) के मामले में लगाया गया जुर्माना शामिल है जिनमें क्रमशः 205.73 करोड़ रू. और 87.00 करोड़ रूपए का जुर्माना लगाया गया है।

**5.2.6** जून, 2017 को निर्णीत मामला सं. 2014 का 36, एफएक्स एंटरप्राइजेज साल्यूशंस इंडिया (प्रा.) लिमिटेड बनाम ह्यूंडई मोटर इंडिया लिमिटेड पहला मामला है जिसमें यात्री कारों की में रिसेल प्राइस मेंटीनेंस (आरपीएम) की शर्तें और निर्धारित व्यवस्था प्रतिस्पर्धा–रोधी पाई गई। इस निर्णय से बाजार में कारपारेट को यह संदेश मिला है कि वे इसी प्रकार के समझौतों, जो आरपीएम या किसी अन्य ऐसे प्रतिबंध की प्रकृति के हैं, के व्यवहारों को ठीक करें।

## संयोजन

**5.2.7** प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 में संयोजन (विलयन और अधिग्रहण) के नियमन संबंधी प्रावधानों को दिनांक 4 मार्च, 2011 को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया और इन्हें दिनांक 1 जून, 2011 से प्रभावी किया गया। प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत दिए गए अधिदेश को कार्यान्वित करने के लिए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने दिनांक 11 मई, 2011 को "भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजन संबंधी व्यापार संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) नियमन, 2011 (जिन्हें इसके बाद संयोजन नियमन कहा जाएगा) को अधिसूचित किया। इन नियमनों को दिनांक 23 फरवरी, 2012, 04 अप्रैल, 2013, 28 मार्च, 2014, 01 जुलाई,2015 और 07 जनवरी, 2016 की अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किया गया है।

**5.2.8** आयोग को दिनांक 01 जनवरी, 2017 से 31

दिसम्बर, 2017 की अवधि के दौरान, अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) जिसमें धारा 20 की उपधारा (1) के तहत प्राप्त नोटिस शामिल है (प्ररूप–I और II फाइलिंग) के तहत 72 नोटिस प्राप्त हुए। आयोग ने इस अवधि के दौरान 91 नोटिसों में अंतिम निर्णय पारित किया है।

**5.2.9** उपर्युक्त के अतिरिक्त, दिनांक 01 जनवरी, 2017 से 31 दिसम्बर, 2017 की अवधि के दौरान आयोग को अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (5)(प्ररूप–III फाइलिंग) के तहत 2 फाइलिंग प्राप्त हुई। आयोग ने अधिनियम के उपबंधों के अनुसार इस मामले को नोट किया है।

**5.2.10** कुल मिलाकर, दिनांक 01 जून, 2011 और 31 दिसम्बर, 2017 के बीच आयोग में प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 5 और 6 के तहत 552 संयोजन नोटिस धारा 6(5) के तहत 10 नोटिसों सहित फाइल किए गए। इनमें से, आयोग द्वारा 546 नोटिसों धारा6(5) के तहत 10 नोटिसों सहित का अंतिम रूप से निपटान कर दिया गया है।

**5.2.11** वर्ष के दौरान, आयोग ने संयोजनों की पुनरीक्षा की, जो उपभोक्ताओं और अर्थव्यवस्था के परंपरागत और नए आर्थिक क्षेत्रों जैसे कि कृषि, दूरसंचार, रसायन, नौपरिवहन और खुदरा आदि को प्रभावित किया। आयोग द्वारा वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण संयोजनों की पुनरीक्षा की गई जहां आयोग द्वारा अधिकार हरण अपेक्षित था। पक्षों द्वारा वैश्विक रूप से और भारत में प्रस्तावित है (i) एग्रियम/पोटास कॉरपोरेशन (ii) डो/डयूपोंट और (iii) कैमचाइना/सिंगेंटा ।

## गतिविधियां और कार्यक्रम

**5.2.12** आयोग ने 20 मई, 2017 को अपना 8वां वार्षिक दिवस समारोह मनाया जिसमें आयोग ने वार्षिक दिवस के संबोधन के लिए भारत के तत्कालीन माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री जगदीश सिंह खेहर को आमंत्रित किया था। उन्होंने 'प्रतिस्पर्धा कानून का बढ़ता हुआ विधिसंग्रहः यह किस तरह भारत में व्यावसायिक समुदाय और भारत की व्यापार नीति की सहायता करेगा" पर भाषण दिया। न्यायाधीश श्री खेहर ने इस बात पर ने जोर दिया कि आर्थिक नीति और प्रबंधन को संवैधानिक सामाजिक व्यवस्था प्राप्त करने में समर्थ होना चाहिए और प्रत्येक सरकार को प्रतिस्पर्धा के दो मूलभूत सिद्धांतों, अर्थात स्रोतों का स्वामित्व और नियंत्रण तथा आर्थिक प्रणाली जो आम हित की हानि के लिए कार्य नहीं करते हैं, को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के एक पूर्व निर्णय का भी उदाहरण दिया जिसमें यह माना गया था कि आयोग को 'पूछताछ, अन्वेषण, नियामक, न्याय–निर्णायक और सलाहकार अधिकारिता' के अधिकार हैं।

**5.2.13** आयोग ने जुलाई, 2017 में सीसीआई के अधिकारियों के लिए पुनःचर्या पाठ्यक्रम के रूप में एक तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। आयोग ने पाठ्यक्रम के लिए रिसोर्सपर्सन बनाने के लिए कॉम्पिटिशन ब्यूरो, कनाडा, डी. जी., कॉम्पिटिशन, यूरोपीय संघ; और एफटीसी, यूएसए से तीन विदेशी विशेषज्ञ निमंत्रित किए थे। यह कार्यक्रम सीसीआई अधिकारियों के लिए बहुत उपयोगी रहा और उनको गुटबंधी एवं प्रभावी पद के दुरूपयोग से संबंधित प्रवर्तन के पक्षों की जानकारी मिली। विलयन की पुनरीक्षा पर उन्हें विलयन पुनरीक्षा को नवीनतम प्रवृति और समाधानों को तैयार करने का अनुभव प्राप्त हुआ। चर्चा करने के लिए यह बहुत अच्छा मंच था जहां तीन विकसित क्षेत्राधिकारों से तीन विशेषज्ञों ने अपनी संस्थाओं से मामलों के परिप्रेक्ष्य में इनपुट दिए और सीसीआई अधिकारियों ने प्रतिस्पर्धा मामलों पर निर्णय लेते समय सामने आने वाली समस्याओं पर भी चर्चा की। पहली बार 30 व्यावसायिक कर्मचारी इस पाठ्यक्रम में शामिल हुए।

**5.2.14** भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने दिनांक 2–3 मार्च, 2017 को नई दिल्ली में "प्रतिस्पर्धा कानून का अर्थशास्त्र" विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे संस्करण का आयोजन किया। सम्मेलन का शुभारंभ श्रीमती निर्मला सीतारमण, भारत सरकार की तत्कालीन माननीया वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा दिनांक 2 मार्च, 2017 को किया गया। इसके अतिरिक्त, डॉ. अरविंद सुब्रमनियन, मुख्य आर्थिक सलाहकार ने मुख्य भाषण दिया। अर्थशास्त्रियों, कानूनी विशेषज्ञों, सरकारी अधिकारियों और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा वाली संस्थानों से विशेषज्ञों सहित 300 से अधिक भागीदारों ने विचार–विमर्श की पूरी प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लिया और मूल्यवान योगदान दिया।

**5.2.15** आयोग 21 से 23 मार्च, 2018 को नई दिल्ली में "2018 आईसीएन वार्षिक सम्मेलन" का आयोजन करेगा, जिसकी तैयारियां चरम पर हैं। सम्मेलन के मेजबान के रूप में, सीसीआई 'गुटबंधी प्रवर्तन और प्रतिस्पर्धा' नामक एक विशेष परियोजना पर कार्य कर रहा है।

**5.2.16** महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों, जिनमें सीसीआई ने प्रतिनिधित्व किया, निम्नलिखित हैं :–

(i) अध्यक्ष, सीसीआई नवम्बर, 2017 में ब्रासिलिया, ब्राजील में आयोजित 5वां ब्रिक्स अंतराष्ट्रीय सम्मेलन में 'ब्रिकस में प्रतिस्पर्धा विकास' पर एक पैनल चर्चा में शामिल थे। श्री आगस्टाइन पीटर, सदस्य सम्मेलन में 'समेकित सहयोग और प्रतिस्पर्धा नीति' और प्रतिस्पर्धा और सार्वजनिक प्राप्ति' के सत्र के संचालक थे। सचिव, सीसीआई ने भी "प्रतिस्पर्धा में सार्वजनिक हित के मामले" और "अंतर्राष्ट्रीय विलय के विश्लेषण पर अंतर एजेंसी सहयोग' के सत्र को संबोधित किया।

(ii) अध्यक्ष, सीसीआई 'दी एनालिटिकल फ्रेमवर्क फॉर इवेल्यूएटिंग यूनिलेटरल कंडक्ट' वर्किंग ग्रुप के पूर्ण सत्र में पैनल के एक सदस्य थे और सचिव, सीसीआई मई, 2017 में पॉर्टो, पुर्तगाल में आयोजित एजेंसी इफेक्टिवनेस वर्किंग ग्रुप इन आईसीएन 2017 के प्रारंभिक सत्र में संचालक थे।

(iii) सीसीआई ने ओईसीडी कोरिया पॉलिसी सेंटर के सहयोग से दिनांक 24–26 अक्तूबर, 2017 को नई दिल्ली में बेस्ट प्रेक्टिसेज इन कारटेल प्रोसिजर पर कार्यशाला आयोजित की थी जिसमें भारत के अतिरिक्त 11 देशों के प्रतिनिधि थे।

(iv) आयोग के अधिकारियों ने वाणिज्य मंत्रालय द्वारा आयोजित कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव फॉर ट्रेड एंड डेवेलपमेंट (सीआईटीडी) द्वारा आयोजित कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी भाग लिया जहां सीसीआई लाभान्वित हुआ।

**5.2.17** परामर्श कार्यकलापः प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा49 की उपधारा (3) के तहत अधिदेश के अनुसरण में, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) सेमिनारों का आयोजन करता है और विशेषज्ञों के साथ चर्चा भी करता है और समय–समय पर विभिन्न अर्थव्यवस्था संबंधी वैचारिक मामलों पर हितधारकों द्वारा आयोजित विभिन्न क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में भी भाग लेता है।

## II- अन्य कानून

## भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949

**5.3.1** चार्टर्ड अकाउंटेंट व्यवसाय को विनियमित करने तथा इस उद्देश्य से एक संस्थान स्थापित करने के लिए वर्ष 1949 में चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम बनाया गया। तदनुसार, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जुलाई, 1949 में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) की स्थापना की गई।

**5.3.2** भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

(i) सदस्यता के लिए योग्यताएं निर्धारित करना, परीक्षा का आयोजन और नामांकन के लिए अभ्यर्थियों को व्यवहारिक प्रशिक्षण देना;

(ii) व्यवसाय की प्रैक्टिस के लिए अर्हता प्राप्त सदस्यों के रजिस्टर का रखरखाव तथा उसका प्रकाशन;

(iii) व्यवसाय के विकास के लिए कार्यकलाप चलाना; और

(iv) सदस्यों की व्यावसायिक अर्हताओं के स्तर एवं मानकों का विनियमन एवं अनुरक्षण करना। संस्थान संपूर्ण देश में परीक्षाएं आयोजित करता है, कोचिंग और व्यावहारिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है ताकि विद्यार्थी इस व्यवसाय संबंधी परीक्षा को पास कर सकें।

**5.3.3** संस्थान के कार्यकलापों का प्रबंधन इसकी परिषद द्वारा किया जाता है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम के अंतर्गत उसे सौंपे गए कार्यों का भी निर्वहन करती है। परिषद में संस्थान के सदस्यों द्वारा चुने गए अधिकतम 32 व्यक्ति होते हैं और 8 व्यक्तियों को केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है।

## लागत एवं संकर्म लेखाकार अधिनियम, 1959

**5.4.1** लागत एवं संकर्म लेखाकार अधिनियम को वर्ष 1959 में लागत एवं संकर्म लेखाकार व्यवसाय को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया और इस उद्देश्य हेतु लागत एवं संकर्म लेखाकार संस्थान को तदनुसार मई, 1959 में स्थापित किया गया। बाद में इस संस्थान के नाम को बदलकर भारतीय लागत लेखाकार संस्थान में किया गया।

**5.4.2** अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी भारतीय लागत लेखाकार संस्थान की परिषद को सौंपी गयी है जो अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत गठित की जाती है। परिषद में संस्थान के सदस्यों द्वारा चुने गए अधिकतम 15 और केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत अधिकतम 5 व्यक्ति शामिल हैं।

## कंपनी सचिव अधिनियम, 1980

**5.5.1** कंपनी सचिव व्यवसाय को विनियमित तथा विकसित करने और इस उद्देश्य से भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की स्थापना करने के लिए वर्ष 1980 में कंपनी सचिव अधिनियम बनाया गया। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की स्थापना जनवरी, 1981 में की गई।

**5.5.2** कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 के अतंर्गत अधिनियम के उपबंधों को लागू करने का दायित्व भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की परिषद, जिसका गठन अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत किया जाता है, में निहित है। उक्त परिषद में संस्थान के सदस्यों द्वारा चुने गए अधिकतम 15 व्यक्ति तथा केन्द्र सरकार द्वारा नामित अधिकतम 5 व्यक्ति होते हैं।

## सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860

**5.6.1** वर्ष 1860 में अधिनियमित सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम में साहित्यिक, वैज्ञानिक और धर्मार्थ सोसाइटियों के पंजीकरण का प्रावधान है, ताकि ऐसी सोसाइटियों की कानूनी स्थिति को बेहतर किया जा सके। इस अधिनियम के तहत उपयोगी ज्ञान प्रसार, साहित्य, विज्ञान, या ललितकला को बढ़ावा देने या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए स्थापित सोसाइटियों को अपने संस्थान के संगम ज्ञापन (एमओए) को अधिनियम में निर्दिष्ट अधिकारियों के समक्ष फाइल करके पंजीकरण करवाना अपेक्षित है। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 समस्त भारत में लागू है जब तक कि इसे संबंधित राज्य विधानमंडल द्वारा अलग से संशोधित अथवा निरस्त न किया जाए। अनेक राज्यों ने अपनी विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसमें संशोधन किया है और यह अधिनियम राज्यों के संबंधित क्षेत्राधिकार में यथासंशोधित रूप में लागू है। इन संशोधनों में संबंधित राज्यों में सोसाइटी रजिस्ट्रार द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा सोसाइटियों का पंजीकरण शामिल है।

## भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932

**5.7.1** भागीदारों द्वारा एक दूसरे के साथ तथा अन्य पक्ष के साथ आपसी भागीदारी के स्वरूप का प्रावधान करने के अलावा भागीदारियों से संबंधित कानून को परिभाषित और संशोधित करने के उद्देश्य से वर्ष 1932 में भारतीय भागीदारी अधिनियम अधिनियमित किया गया। अधिनियम में इस उद्देश्य से राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रारों के पास फर्मों के पंजीकरण का भी प्रावधान है। इस अधिनियम के तहत आयकर अधिनियम के उद्देश्य से संबंधित आयकर अधिकारियों के पास फर्मों के पंजीकरण के संबंध में अलग से उपबंध हैं।

## कंपनी (राष्ट्रीय निधि में दान) अधिनियम, 1951

**5.8.1** कंपनी (राष्ट्रीय निधि में दान) अधिनियम, 1951 में बनाया गया था। इस अधिनियम के तहत कोई कंपनी, कंपनी अधिनियम या किसी अन्य विधि में विनिर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी या कंपनी के संगम ज्ञापन या संगम अनुच्छेद में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी सरकार द्वारा यथा अनुमोदित धर्मार्थ उद्देश्य से स्थापित किसी निधि में दान कर सकती है।

*******

# अध्याय–VI

# परस्पर क्रियाशील एवं उत्तरदायी प्रशासन की ओर

## एमसीए21 ई–गवर्नेंस परियोजना

**6.1.1** एमसीए रजिस्ट्रीकरण और कंपनी निगमन संबंधी सेवाओं के लिए अद्योपांत ई–गवर्नेंस परियोजना – एमसीए21 का परिचालन कर रहा है। यह परियोजना कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी), प्रादेशिक निदेशक (आरडी), एमसीए मुख्यालय और शासकीय समापक (ओएल) कार्यालयों में कार्यान्वित की गई है। एमसीए21 प्रणाली हितधारकों को अधिक गति, विश्वसनीयता और बारंबार सेवा सुपुर्दगी के साथ सभी एमसीए21 सेवाओं के लिए आसान और सुविधाजनक प्रयोग और सुरक्षित पहुंच तथा सुपुर्दगी स्थल उपलब्ध करवाती है। इससे मंत्रालय की कार्यपद्धति में पारदर्शिता, तीव्रता और कुशलता आई है।

**6.1.2** हितधारकों को कुशल और प्रभावी सेवाएं उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है और मंत्रालय ऑनलाइन सेवा सुपुर्दगी में सर्वोत्तम व्यवहार शुरू कराने में लगातार प्रयासरत रहा है। लगातार प्रयासों के परिणामस्वरूप भारत सरकार की राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस परियोजन (एनईजीपी) के तहत एमसीए21 को एक सर्वाधिक सफल मिशन मोड प्रोजेक्ट के रूप में पहचान मिली है। यह पोर्टल कटिंग–एज सूचना प्रोद्योगिकी का प्रयोग करते हुए परंपरागत कागज पर आधारित प्रणालियों को कागज रहित प्रणाली में बदलने के लिए एक मॉड्ल के रूप में माना जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप सभी आरओसी, आरडी कार्यालयों और मुख्यालय में अद्यतन तकनीक के साथ हार्डवेयर और उन्नत एप्लीकेशन स्थापित किए गए हैं।

## महत्वपूर्ण अद्यतन परियोजना

**6.2.1** एमसीए21 का दूसरा जनरेशन वर्जन जिसकी सीमा में अतिरिक्त कार्यालयों, व्यापार प्रक्रियाओं, संवर्धित एप्लिकेशन और अतिरिक्त संरचना शामिल है, को इंटरफेस में सुधार करने के माध्यम से उपभोक्ताओं तक संवर्धित अनुभव और मूल्य उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया था। एमसीए21 वी2 का कार्यान्वयन हो गया है और यह अब परिचालन में है और अपेक्षाओं तथा सेवास्तर समझौतों के अनुसार इसका रखरखाव किया जाता है। एमसीए21 प्रणाली के अधिक संवर्धन और बेहतर प्रणाली की निरंतर प्रक्रिया के रूप में इस अवधि के दौरान महत्वपूर्ण अद्यतन कार्य किए गए हैं जिसमें कंपनी निगमन प्ररूपों का सरलीकरण, सीबीडीटी के साथ प्रणाली एकीकरण, आप्टीमाइस पैन/टैन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग और उसे एकल सेवा अनुरोध खिड़की के माध्यम से जारी करना, एमसीए21 प्रणाली के प्रवर्तन माडयूल का कार्यान्वयन, शासकीय समापक कार्यालयों में ई–गवर्नेंस एप्लीकेशन का कार्यान्वयन और एमसीए21 पोर्टल का जीआईजीडब्ल्यू प्रमाणन शामिल है।

## पैन और फर्स्ट टैन जारी करने के लिए सीबीडीटी के साथ एमसीए21 का एकीकरण

**6.3.1** मंत्रालय ने सिम्पलिफाइड प्रोफार्मा फोर इनकारपोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली (स्पाइस) का प्रयोग करते हुए निगमित कंपनी को पैन और फर्स्ट टैन जारी करने के लिए सीबीडीटी के साथ एमसीए21 प्रणाली को इलेक्ट्रानिक रूप से एकीकृत किया है।

हितधारक निगमन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के समय पैन और टैन के लिए आवेदन प्रस्तुत करते हैं। 01 फरवरी, 2017 से कंपनी निगमन प्रमाणपत्र पर आयकर विभाग द्वारा आबंटित पैन मुद्रित की जा रही है। इसके परिणामस्वरूप देश में व्यवसाय शुरू करने के लिए लगने वाले समय और प्रक्रियाओं की संख्या में कटौती हो रही है।

## प्रवर्तन मॉड्यूल का प्रयोग

**6.4.1** मंत्रालय ने सूचना प्रोद्योगिकी (आईटी) को बढावा देने की पहल की है जिससे शिकायत प्राप्ति से लेकर कंपनियों का निरीक्षण एवं जांच जैसे मामलों की अद्योपांत प्रोसेसिंग के लिए प्रवर्तन माड्यूल का प्रयोग किया जा सके। प्रवर्तन माड्यूल का प्रयोग निवेशकों की शिकायत रिकार्ड करने, तकनीकी संवीक्षा करने, निरीक्षण, जांच, प्रवर्तन और ऑनलाइन कारण बताओं नोटिस निकालने और कंपनियों पर अभियोजन करने के लिए किया जाता है। इस मॉड्यूल को 06 फरवरी, 2017 को शुरू किया गया। इस तकनीक से कानून की कुशल और प्रभावी प्रवर्तन की अपेक्षा की जाती है जिससे सरल, सुदृढ अद्योपांत कार्रवाई की जा सके और मामलों की वास्तविक निगरानी के लिए मंच प्रदान किया जा सके।

## शासकीय समापकों के लिए एमसीए21 मॉड्यूल का विकास

**6.5.1** कारपोरेट कार्य मंत्रालय में कुल 23 शासकीय समापक कार्यालय हैं, जिसमें से 7 कार्यालय उस क्षेत्र से संबंधित प्रादेशिक निदेशक/कंपनी रजिस्ट्रार के साथ स्थित हैं। एमसीए–ओएल परियोजना का लक्ष्य कंपनी के समापन संबंधी वर्तमान ऑफलाइन/मैनुअल प्रोसेस को ऑनलाइन प्रणाली में परिवर्तित करना है। इस परियोजना के अंतर्गत देश में स्थित सभी 23 शासकीय समापक शामिल हैं। एमसीए–ओएल प्रणाली में 3 मॉड्यूल है जो निम्नलिखित हैं:–

(i) मामला प्रबंधन (ई–रिपॉजिटरी) प्रणाली

(ii) वित्तीय लेखांकन (पीपलसॉफ्ट) प्रणाली

(iii) ई–नीलामी प्रणाली

**6.5.2** विभिन्न शासकीय कार्यालयों में कई चरणों में इन 3 सब मॉड्यूल का प्रयोग किया गया जिससे शासकीय समापक कार्यालयों की कार्यपद्धति को डिजीटल रूप से सुगम बनाया जा सके।

## जीआईजीडब्ल्यू प्रमाणन

**6.6.1** जिस प्रकार संपूर्ण विश्व सूचना और सेवाओं की सुपुर्दगी के लिए इंटरनेट मीडिया को अपना रहा है, ऐसे मानक स्थापित किए जाने की आवश्यकता है जो वर्चुअल संसार में निर्माण प्रयासों को मार्गदर्शन देने के लिए संदर्भ के रूप में कार्य कर सके। भारत सरकार के राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) ने भारतीय सरकारी वेबसाइट के लिए मार्गदर्शन (जीआईजीडब्ल्यू) के रूप में ऐसे मानक तैयार किए हैं। जीआईजीडब्ल्यू की अनुपालना से यह सुनिश्चित किया जाता है कि वेबसाइट अपनी शुरूआत से लेकर इसके परिचालन और रखरखाव के दौरानः उपभोक्ता केंद्रित प्रयोग करने योग्य और सभी स्तरों पर वैश्विक रूप से एक्सेस करने योग्य है।

**6.6.2** दिनांक 30 मई, 2017 को एमसीए21 पोर्टल को जीआईजीडब्ल्यू प्रमाणन प्राप्त हुआ।

**6.7.1** एमसीए21 के निम्नलिखित परिचालन सांख्यिकी प्रणाली का प्रदर्शन और उसकी स्थिरता, फाइलिंग की बढती हुई मात्रा को उजागर करता है जिससे बेहतर सेवा सुपुर्दगी और अनुपालन की प्राप्ति होती है।

तालिका 6.1

**1 दिसंबर, 2016 से 30 नवंबर,2017 की अवधि में फाइलिंग की स्थिति**

| Sl. No. | Point Description | Count |
|---|---|---|
| 1 | प्रणाली के माध्यम से की गई कुल फाइलिंग | 43,50,382 |
| 2 | ऑनलाइन पंजीकृत कंपनियों की संख्या | 1,07,184 |
| 3 | जारी किए गए डीआईएन | 3,37,580 |
| 4 | कंपनी के रिकॉर्ड जो ऑनलाइन देखे गए | 21,02,386 |
| 5 | दायर तुलन पत्रों की संख्या | 8,70,509 |
| 6 | दायर वार्षिक विवरणियों की संख्या | 8,74,795 |
| 7 | एक दिन में (29 नवंबर, 2017 को) दायर किए गए दस्तावेजों की अधिकतम संख्या | 1,08,489 |
| 8 | एकत्र किए गए ई स्टांप शुल्क की राशि (करोड़ रूपए) | 306,59,51,502.00 |
| 9 | डीएससी के साथ रजिस्ट्रीकृत नोडल अधिकारियों की संख्या | 93 |
| 10 | डीएससी के साथ रजिस्ट्रीकृत प्राधिकृत बैंक कर्मियों और व्यवसायिकों की संख्या | प्राधिकृत बैंक कर्मी – 96<br>व्यवसायिक -26082 |
| 11 | पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत प्रयोक्ताओं की संख्या | 11,66,740 |

**6.7.2** एमसीए परियोजना के अधीन सेवा की सुपुर्दगी के लिए लगने वाले समय में महत्वपूर्ण बेहतरी देखी गई है जो निम्नलिखित **तालिका 6.2** में उपलब्ध है:

तालिका 6.2

**एमसीए21 सेवा मैट्रिक्स के अधीन सेवा सुपुर्दगी में कुशलता**

| सेवा का प्रकार | एमसीए21 से पहले | एमसीए21 के आरंभ के पश्चात् | सीआरसी के आरंभ केपश्चात् (30 नवंबर, 2017 तक) |
|---|---|---|---|
| नाम अनुमोदन | 7 दिन | 1–2 कंले | 0.6 दिन |
| कंपनी निगमन | 15 दिन | 1–3 कंले | 0.49 दिन |
| नाम में परिवर्तन | 15 दिन | 3 दिन | लागू नहीं |
| प्रभार सृजन/संशोधन | 10–15 दिन | तत्काल | लागू नहीं |
| प्रमाणित प्रति | 10 दिन | 2 दिन | लागू नहीं |

## अन्य दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण

**6.7.3** अन्य दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित डाटा निम्नलिखित **तालिका 6.3** में उपलब्ध है:

तालिका 6.3

**अन्य दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण**

| सेवा का प्रकार | एमसीए 21 से पहले | एमसीए 21 के पश्चात् |
|---|---|---|
| वार्षिक विवरणी | 60 दिन | तत्काल |
| तुलन–पत्र | 60 दिन | तत्काल |

| | | |
|---|---|---|
| निदेशकों में परिवर्तन | 60 दिन | तत्काल |
| रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पते में परिवर्तन | 60 दिन | 1–3 दिन |
| प्राधिकृत पूंजी में बढोत्तरी | 60 दिन | 1–3 दिन |
| सार्वजनिक दस्तावेज की जांच | प्रत्यक्ष उपस्थिति | ऑनलाइन |

## विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि

**6.8.1** विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) की स्थापना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अधीन निवेशक शिक्षा को बढावा देने, जागरूकता, संरक्षण और निवेशकों के दावों की पुनर्अदायगी करने के उद्देश्य से की गई है। इसका रखरखाव भारत की संचित निधि के अधीन किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के अनुसार कंपनी द्वारा लाभांश का भुगतान न किए गए या 7 वर्ष या उससे अधिक तक उसका दावा न किए जाने वाले सभी शेयर आईईपीएफ के नाम पर अंतरित किए जाएंगे।

**6.8.2** केंद्रीय सरकार ने 07 सितंबर, 2016 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 की उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसार इस निधि के प्रशासन के लिए विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफ) की स्थापना की थी जिसमें एक अध्यक्ष, सात सदस्य और मुख्य कार्यकारी अधिकारी शामिल है। सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय इस प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष हैं।

### क. विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण के कार्यकलाप

**6.8.3** प्राधिकरण को अदावाकृत लाभांश, परिपक्व जमा, परिपक्व डिबेंचर आदि की पुनः अदायगी करने और प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से निवेशक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

(i) केंद्रीय सरकार ने 5 सितंबर, 2016 को शेयरों अदावाकृत लाभांशों, डिबेंचरों आदि से संबंधित दावों की पुनःअदायगी को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और पुनःअदायगी) नियम, 2016 अधिसूचित किए हैं। प्राधिकरण शेयर अंतरित करने के लिए दो डीमैट खाते–एक खाता प्रति जमाकर्ता, खोले गए हैं।

(ii) इस निधि में राशि जमा करनाः मुख्य लेखांकन कार्यालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार इस निधि में वित्त वर्ष 2017–18 के अंत तक 1,92,925 लाख रुपए की राशि जमा की गई। 11 दिसंबर, 2017 तक 977 कंपनियों ने इन डीमैट खातों में 30,34,96,169 शेयर अंतरित किए हैं।

(iii) दावों की पुनःअदायगीः प्राधिकरण के समक्ष पुनःअदायगी दायर करने के लिए निदेशक, प्राधिकरण की वेबसाइट (www.iepf.gov.in) पर ऑनलाइन आवेदन करते हैं। इनका निपटान कंपनियों द्वारा दावों के सत्यापन के पश्चात् किया जाता है। आईईपीएफ में अपनी स्थापना के समय से निवेशकों को कंपनी द्वारा आईईपीएफ को अंतरित अदावाकृत लाभांश जमा डिबेंचर आदि संबंधी उनके भुगतान न किए गए/अदावाकृत राशि के संबंध में लगभग 77 लाख रुपए की राशि के पुनः भुगतान की स्वीकृति दी है।

## निवेशक जागरूकता कार्यकलाप

**6.8.4** वर्ष 2013–14 से 2016–17 तक देश के विभिन्न राज्यों के ग्रामीण, अर्द्ध ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में व्यवसायिक संस्थानों और सीएससी ई–गवर्नेंस के माध्यम से निवेशक जागरूकता कार्यकलाप (आईएपी) आयोजित किए जा रहे हैं। यह प्राधिकरण विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहा है जिनके ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

(i) **व्यवसायिक संस्थानों के माध्यम से निवेशक जागरूकता कार्यक्रम (आईएपी):** व्यवसायिक संस्थानों द्वारा शहरी क्षेत्रों और छोटे कस्बों में उनके अध्यायों या इस उद्देश्य के लिए नियुक्त रिसोर्स पर्सन के माध्यम से आईएपी का आयोजन किया जाता है। वर्तमान वर्ष के दौरान तारीख 30 नवंबर, 2017 तक 48 आईएपी आयोजित की गई है।

(ii) **सीएससी ई–गवर्नेंस के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आईएपी:** वर्ष 2012–13 से सीएससी ईगवर्नेंस सर्विसिज इंडिया लिमिटेड, संचार एवं सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय, (डीईआईटीवाई) मंत्रालय की ओर से सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आईएपी आयोजित कर रहा है। वर्तमान वर्ष के दौरान तारीख 30 नवंबर, 2017 तक 4847 आईएपी का आयोजन किया गया है। इन कार्यक्रमों की सीमा को बढाने के लिए आँध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला राज्यों में 20,000 आईएपी आयोजित करने का प्रस्ताव दिया गया है।

(iii) **निवेशक जागरूकता का संयुक्त अभियान:** आरबीआई, सेबी, उपभोक्ता कार्य विभाग के सहयोग से संयुक्त अभियान शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। इस संयुक्त अभियान में जिंगल्स की संयुक्त–ब्रांडिंग, कॉमिक स्ट्रिपस्ट, क्रॉलर, समाचार पत्रों विज्ञापनों के लिए स्लॉट पोस्टर तैयार करने के विषय में कार्य करने का प्रस्ताव है। वर्तमान में संयुक्त ब्रांड के जिंगल विभिन्न एफएम और विभिन्न भारतीय चौनल पर प्रसारित किए जाते हैं।

(iv) **भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) के माध्यम से निवेशक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना:** आईएपी का आयोजन करने के लिए आईआईसीए के माध्यम से नई संचार सामग्री विकसित करने और आईआईसीए द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के माध्यम से ये कार्यक्रम का प्रस्ताव दिया जाता है। इस प्रस्ताव में विभिन्न भाषाओं में मॉड्यूल विकसित करना, प्रोडक्शन संबंधी तत्व जैसे: टीवी विज्ञापन अंतराल, रेडियो जिंगल/विज्ञापन, व्हाइट बोर्ड एनिमेशन, ब्लॉग, ब्लॉग्स, यूट्यूब वीडियो, ब्रोशर, पैम्फलैट्स आदि शामिल है।

(v) **रेडियों में जिंगल प्रसारित करना:** निवेशक जागरूकता के लिए 4 जिंगल विकसित किए गए हैं, ये जिंगल एआईआर एफएम और विविध भारती पर प्रसारित हो रहे है। वर्तमान में ये प्राधिकरण "चांदी के पर्दे से" कार्यक्रम प्रायोजित कर रहा है।

(vi) **दूरदर्शन समाचार चैनल और क्षेत्रीय केंद्रों पर क्रॉलर:** 6 महीने की अधिक की अवधि से इन चैनलों पर क्रॉलर के माध्यम से जागरूकता संदेश जारी किए जाएंगे।

(vii) **समाचार पत्रों में विज्ञापन का प्रकाशन:** समाचार पत्रों में निवेशकों को शेयरों,

अदावाकृत लाभांश और परिपक्व डिबेंचर आदि के दावों की प्रक्रिया के विषय में सूचित करने के लिए 2 विज्ञापन जारी किए गए हैं।

## कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

**6.9.1** भारत में कंपनियों के लिए कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) अनिवार्य किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में अधिनियम के सीएसआर प्रावधानों और अधिनियम की अनुसूची–VII में सीएसआर के तहत किए जाने वाले कार्यकलापों का उल्लेख है। धारा–135 और संशोधित अनुसूची–VII और कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 दिनांक 27 फरवरी, 2014 को अधिसूचित किए गए थे और 01 अप्रैल, 2014 को लागू हुए।

**6.9.2** कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 और अधिनियम की अनुसूची–VII में कानून के तहत सीएसआर प्रावधानों को लागू करने हेतु कंपनियों को सुविधा देने के लिए समय–समय पर संशोधन किए गए हैं।

**6.9.3** वर्ष 2015–16 में समेकित किए गए 7,983 कंपनियों के सीएसआर व्यय का मूल्यांकन यह दर्शाता है कि वर्ष 2015–16 के दौरान 237 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) और 7,746 निजी क्षेत्र की कंपनियों में मिलकर 13,625 करोड़ रुपए खर्च किए हैं जिसका ब्यौरा **तालिका 6.4** में दिया गया है:

**तालिका 6.4**
**वर्ष 2014–15 और 2015–16 के दौरान सीएसआर व्यय**

| क्रम संख्या | कंपनी का प्रकार | वित्त वर्ष 2014–15 | | वित्त वर्ष 2015–16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | सीएसआर व्यय रिपोर्ट करने वाली कंपनियों की संख्या | वास्तविक सीएसआर व्यय | सीएसआर व्यय रिपोर्ट करने वाली कंपनियों की संख्या | वास्तविक सीएसआर व्यय |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | पीएसयू | 203 | 2,671.92 | 237 | 4,159.57 |
| 2. | प्राइवेट क्षेत्र की कंपनियां | 5,667 | 6,881.80 | 7,746 | 9,465.67 |
| कुल | | 5,870 | 9,553.72 | 7,983 | 13,625.24 |

**6.9.4** **तालिका 6.5** में वर्ष 2014–15 और 2015–16 के दौरान विभिन्न विकास क्षेत्र पर सीएसआर व्यय संबंधी सूचना उपलब्ध है:

**तालिका 6.5**

**वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान विकास**

**क्षेत्र–वार सीएसआर व्यय**

| क्रम सख्या | अनुसूची–VII में विषय | सीएसआर व्यय 2014–15 | सीएसआर व्यय 2015–16 |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | स्वास्थ्य / भूखमरी निवारण, गरीबी और कुपोषण / स्वच्छ पेयजल / स्वच्छता | 2,379.72 | 4,294.68 |
| 2 | शिक्षा / दिव्यांगजन / जीविका | 3,015.26 | 4,647.67 |
| 3 | ग्रामीण विकास परियोजना | 1,031.00 | 1,327.27 |
| 4 | पर्यावरण / पशु कल्याण / उपकरणों का संरक्षण | 811.85 | 894.88 |
| 5 | स्वच्छ भारत कोष | 94.57 | 321.03 |
| 6 | अन्य कोई कोष | 272.31 | 319.50 |
| 7 | लैंगिक समानता / महिला सशक्तिकरण / वृद्धाश्रम / असमानता कम करना | 171.93 | 322.88 |
| 8 | प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष | 210.69 | 203.29 |
| 9 | खेलकूद को बढावा देना | 53.34 | 133.39 |
| 10 | विरासत, कला और संस्कृति | 113.12 | 114.11 |
| 11 | स्लम विकास | 101.05 | 10.54 |
| 12 | निर्मल गंगा कोष | 4.64 | 18.03 |
| 13 | अन्य क्षेत्र (सशस्त्र सेनाओं को प्रौद्योगिकी इनक्यूवेटर और लाभ, प्रशासनिक ऊपरी खर्च और अन्य') | 1,294.24 | 1,017.98 |
| **कुल** | | 9,553.72 | 13,625.25 |
| **कंपनियों की संख्या**** | | **5,870** | **7,983** |

***विनिर्दिष्ट नहीं है।**

****सीएसआर व्यय रिपोर्ट करने वाली कंपनियों की संख्या।**

**6.9.5** वित्त वर्ष 2014–15 और 2015–16 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार सीएसआर व्यय का ब्यौरा निम्नलिखित **तालिका 6.6** में दिया गया है:

**तालिका 6.6**

**वित्तीय वर्ष 2014–15 और 2015–16 में राज्य/संघ क्षेत्र–वार सीएसआर व्यय**

| क्र.सं. | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | 2014-15 | 2015-16 |
|---|---|---|---|
| 1 | अंडमान एवं नीकोबार द्वीप समूह | 0.29 | 0.54 |
| 2 | आन्ध्र प्रदेश | 403.91 | 1,195.80 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 11.03 | 1.22 |
| 4 | असम | 133.07 | 160.39 |
| 5 | बिहार | 36.20 | 107.51 |
| 6 | चंडीगढ़ | 1.73 | 5.08 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 158.31 | 233.57 |
| 8 | दादरा एवं नगर हवेली | 2.54 | 11.84 |
| 9 | दमन एवं दीव | 20.05 | 2.09 |
| 10 | दिल्ली | 210.77 | 443.74 |
| 11 | गोवा | 26.60 | 27.07 |
| 12 | गुजरात | 295.35 | 535.03 |
| 13 | हरियाणा | 175.99 | 357.40 |
| 14 | हिमाचल प्रदेश | 9.30 | 51.47 |
| 15 | जम्मू और कश्मीर | 35.61 | 102.84 |
| 16 | झारखंड | 75.64 | 115.22 |
| 17 | कर्नाटक | 382.61 | 701.14 |
| 18 | केरल | 62.45 | 125.43 |
| 19 | लक्ष्यद्वीप | 0.00 | 0.30 |
| 20 | मध्य प्रदेश | 136.73 | 169.38 |
| 21 | महाराष्ट्र | 1,369.22 | 1,787.35 |
| 22 | मणिपुर | 1.57 | 5.80 |
| 23 | मेघालय | 3.52 | 3.81 |
| 24 | मिजोरम | 1.03 | 1.08 |
| 25 | नागालैंड | 1.11 | 0.95 |
| 26 | ओडीशा | 249.50 | 597.97 |
| 27 | पुदुचेरी | 1.81 | 6.11 |
| 28 | पंजाब | 53.71 | 67.43 |
| 29 | राजस्थान | 271.36 | 459.81 |
| 30 | सिक्किम | 1.03 | 1.87 |
| 31 | तमिलनाडु | 498.73 | 589.23 |
| 32 | तेलंगाना | 94.87 | 238.35 |
| 33 | त्रिपुरा | 1.16 | 1.47 |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 138.45 | 406.04 |
| 35 | उत्तराखंड | 69.99 | 64.29 |
| 36 | पश्चिम बंगाल | 178.54 | 396.88 |
| 37 | **कहीं और वर्गीकृत/उल्लेख नहीं है*** | 164.61 | 276.43 |
| 38 | समस्त भारत* | 4,275.33 | 4,373.31 |
| | **कुल योग** | **9,553.72** | **13,625.25** |

*कंपनियों ने या तो राज्यों का नाम नहीं बताया है या एक से अधिक राज्य का उल्लेख किया है जहां परियोजनाएं शुरू की गईं।

## कारपोरेट डाटा प्रबंधन (सीडीएम)

**6.10.1** कारपोरेट डाटा प्रबंधन (सीडीएम) वित्तीय वर्ष 2015–16 में मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना स्कीम है। इसमें मंत्रालय में डाटा माइनिंग एवं विश्लेषणात्मक सुविधा के सृजन पर विचार किया गया है ताकि कारपोरेट सेक्टर डाटा का व्यवस्थित तरीके से प्रसार किया जा सके। यह व्यवहार प्रणाली को डाटा वेयरहाउस प्रणाली में बदलने हेतु एमसीए21 द्वारा डिपाजिटरी को अग्रिम कड़ी प्रदान करता है। सीडीएम के उद्देश्यों में शामिल है (क) साझा करने योग्य जानकारी का इकाई स्तर प्ररूप और तालिका प्ररूपों में प्रसार करना, (ख) अनुकूलित सूचना को नीति निर्माण और एमसीए के विनियमन उद्देश्यों और साथ ही साथ अन्य सरकारी विभागों के साथ साझा करना और (ग) मंत्रालय की आंतरिक एवं संस्थागत क्षमताओं को कारपोरेट डाटा माइनिंग एवं सूचना प्रबंधन को बढाना जिससे निर्णय क्षमता में सहायता मिले।

**6.10.2** सीडीएम प्रणाली में कंपनियों की वर्ष 2006–07 से 30 सितंबर, 2017 तक की वार्षिक सांविधिक फाइलिंग (ई प्ररूप) अपलोड कर दी गई है। जनवरी, 2018 से अंत से महीने के अंत की गई फाइलिंग को भी नियमित आधार पर अपलोड कर दिया जाएगा। इस परियोजना में भारतीय कारपोरेट सैक्टर निष्पादन पर विभिन्न सांख्यिकी प्रतिवेदन जैसे कि सीरीज डाटा, क्रास सेक्शन डाटा , पैनल डाटा इत्यादि तैयार करने पर विचार किया गया है। इसके अतिरिक्त इस परियोजना में मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा अनुपालना एवं नियमन पर निगरानी की सुविधा की परिकल्पना की गई है।

## राष्ट्रीय कारपोरेट शासन प्रतिष्ठान

**6.11.1** राष्ट्रीय कारपोरेट शासन प्रतिष्ठान की स्थापना कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीसीआई), और भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) द्वारा संयुक्त रूप से एक ट्रस्ट के रूप में की गई थी, तथा भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई), भारतीय लागत एवं संकर्म लेखाकार संस्थान (अब भारतीय लागत लेखाकार संस्थान), राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) तथा भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) को भी एनएफसीजी में सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है।

**6.11.2** प्रतिष्ठान का मूल उद्देश्य सुस्थायी संपदा सृजन के प्रमुख कारक के रूप में भारतीय कारपोरेट क्षेत्र के मध्य अच्छे कारपोरेट शासन को बढ़ावा देना है। एनएफसीजी की शासी परिषद कारपोरेट कार्य मंत्री की अध्यक्षता में निर्णय निर्माण के सर्वोच्च स्तर पर कार्य करता है।

**6.11.3** एनएफसीजी के तत्वाधान में संचालित कार्यकलापों में कारपोरेट शासन, भारतीय कंपनियों में कारपोरेट शासन पर अनुसंधान कार्यकलाप, आदि से संबंधित विषयों पर सेमीनार और सम्मेलन शामिल हैं। एनएफसीजी राष्ट्रीय स्तर पर कारपोरेट शासन संबंधी विभिन्न कार्यकलापों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक प्लेटफार्म के रूप में भी कार्य करता है और दुनिया भर के समान संगठनों के संपर्क में रहता है।

**6.11.4** 01 दिसंबर, 2016 से 30 नवंबर, 2017 की अवधि के दौरान एनएफसीजी या उसके भागीदार और एनएफसीजी के तत्वाधान के अंतर्गत मान्य संस्थानों द्वारा कारपोरेट शासन 6 सेमिनार/अभिमुखी कार्यक्रम और 2 अनुसंधान कार्य (और संबंधित विषय) आयोजित किए गए हैं।

## सतर्कता

**6.12.1** मंत्रालय के सतर्कता विंग का अध्यक्ष मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के मुख्य कार्य विभिन्न स्रोतों के जरिए प्राप्त शिकायतों की जांच, उचित जांच के प्रारंभ, अनुशासनात्मक कार्रवाइयों की शुरूआत एवं उन पर कार्रवाई, निवारक सतर्कता के भाग के रूप में संवेदनशील पदों की पहचान, संपत्ति विवरण का अनुरक्षण और सीसीएस आचरण नियमों के अधीन आवश्यक स्वीकृतियां जारी करने, वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) से संबंधित मामले और सतर्कता निकासी और लघु और बड़ी शास्तियों और अखंडता प्रमाणपत्र जारी करने से संबंधित है। यह विद्यमान प्रक्रियाओं को भी सरल बनाने हेतु प्रयास करता है जिससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश को कम किया जाए और सरकारी कर्मचारियों के मध्य ईमानदारी सुनिश्चित की जा सके। सतर्कता विंग, केंद्रीय सतर्कता आयोग के साथ सतर्कता से संबंधित मामलों पर भी समन्वय करता है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2017 "मेरा लक्ष्य – भ्रष्टाचार मुक्त भारत" विषय के साथ 30 अक्तूबर, 2017 से 4 नवंबर, 2017 तक मंत्रालय और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों में अधिकारियों एवं स्टाफ के मध्य जागरूकता सृजन हेतु मनाया गया। मंत्रालय और (इसके कार्यालयों) में वेबसाइट पर अखंडता शपथ के लिए हाइपरलिंक जनता/नागरिकों को उपलब्ध कराया गया था।

## राजभाषा

**6.13.1** मंत्रालय में, केंद्र की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन और मंत्रालय के सरकारी कार्यो में हिंदी के प्रभावी प्रयोग की निगरानी के लिए संयुक्त सचिव (सामान्य प्रशासन) की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) आयोजित की जाती है। इस रिपोर्ट के अंतर्गत वर्ष के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कारपोरेट कार्य मंत्रालय में माननीय कारपोरेट कार्य मंत्री की अध्यक्षता में हिंदी सलाहकार समिति का गठन किया गया है।

**6.13.2** राजभाषा अनुभाग, मंत्रालय और अधीनस्थ कार्यालयों में तिमाही प्रगति रिपोर्टों, निरीक्षण और राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अधीन जारी दस्तावेजों के अनुवाद के माध्यम से हिंदी के प्रगामी प्रयोग की स्थिति की समीक्षा करता है। इसके अतिरिक्त राजभाषा अनुभाग के अधिकारी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों आदि की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में भाग लिया और राजभाषा अधिनियम और उसके नियमों के कार्यान्वयन में आवश्यक मार्गदर्शन भी किया।

**6.13.3** मंत्रालय में तारीख 01 से 15 सितंबर, 2017 के दौरान मंत्रालय के सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रयोग संबंधी जागरूकता तैयार करने के उद्देश्य से हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माननीय कारपोरेट कार्य मंत्री ने मंत्रालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपना अधिक से अधिक कार्य राजभाषा में की अपील की। हिंदी पखवाड़ा के दौरान विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं जैसे निबंध लेखन, टिप्पण एवं आलेखन, अनुवाद और शब्दज्ञान, कविता पाठ, वाद–विवाद और श्रुतलेख आयोजित की गई और इन प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया, इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नकद पुरस्कार और सराहना प्रमाणपत्र दिए गए।

## अवसंरचना अनुभाग

**6.14.1** तारीख 01 दिसंबर, 2016 से 30 नवंबर, 2017 की अवधि के दौरान अवसंरचना अनुभाग ने निम्नलिखित कार्य किए हैं:–

(क) मैसर्स एनबीसीसी लिमिटेड के माध्यम से आईबीबीआई परिसर – 7वां तल, मयूर भवन, नई दिल्ली का नवीकरण।

(ख) मैसर्स यूटीआईआईटीएसएल के माध्यम से एफटीबी–1 फोर्ट, मुंबई स्थित एसएफआईओ के क्षेत्रीय कार्यालय का नवीकरण।

(ग) मैसर्स यूटीआईआईटीएसएल के माध्यम से पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली स्थित एनसीएलएटी के बी–1, बी–3 और बी–4 परिसर का नवीकरण।

(घ) मैसर्स यूटीआईआईएसएल के माध्यम से आरएंडए प्रभाग परिसर–8वां तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली का नवीकरण।

(ड़) जीवन विहार, पार्लियामेंट स्ट्रीट स्थित आईईपीएफ प्राधिकरण परिसर और सीडीएम परियोजना का नवीकरण।

(च) कोलकाता में एनसीएलटी न्यायपीठ स्थापित करने के लिए स्थान का नवीकरण।

(छ) एनसीएलटी न्यायपीठ परिसर, जयपुर का नवीकरण।

(ज) मैसर्स यूटीआईआईएसएल के माध्यम से कारपोरेट भवन, जयपुर की मरम्मत/ नवीकरण।

(झ) मैसर्स एनबीसीसी के माध्यम से कारपोरेट भवन, थलतेज, अहमदाबाद में निर्माण कार्य शुरू हो गया है।

(ञ) सीपीडब्ल्यूडी के माध्यम से एफटीबी–1, 5 एसप्लेनेड (पूर्व) द्वितीय तल, कोलकाता स्थित एसएफआईओ के क्षेत्रीय कार्यालय परिसर का नवीकरण।

(ट) कारपोरेट भवन, कोलकाता और कोच्ची, कटक और जयपुर स्थित एनसीएलटी न्यायपीठों की अंतिम लेआउट योजना तैयार की जा रही है।

## नागरिक/ग्राहक चार्टर

**6.15.1** कारपोरेट कार्य मंत्रालय एक नियामक मंत्रालय होने के कारण अपने नियामक कार्य करने के लिए नियमित रूप से जनता से संपर्क करता है जो विभिन्न हितधारकों को इसकी सेवाएं देने के रूप में की जाती हैं। मंत्रालय ने एक विस्तृत नागरिक/ ग्राहक चार्टर अपनी वेबसाइट पर डाला है। मंत्रालय ने अपने नागरिक चार्टर में सेवाओं/ संव्यवहारों/ निहित प्रक्रियाओं अपेक्षित दस्तावेजों और लागू शुल्कों की एक विस्तृत सूची दी है। इसमें प्रत्येक सेवा/ संव्यवहार के लिए निष्पादन/समय सीमा का मानदंड भी निर्धारित है। यह प्रतिवेदन के अनुलग्नक–VI में संलग्न है।

**6.15.2** यदि किसी व्यक्ति को इन सेवाओं की सुपुर्दगी के संबंध में कोई शिकायत है, तो वह **तालिका 6.7** में दिए गए (क) मंत्रालय की लोक शिकायत अधिकारियों को सूचित कर सकते हैं।

(ख) पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें: http://pgportal.gov.in

तालिका 6.7
लोक शिकायत अधिकारी

| क्र. सं. | शिकायत की प्रकृति | लोक शिकायत अधिकारी का नाम व पता | दूरभाष | ई–मेल | मोबाइल नंबर |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | निवेशक शिकायत | **श्री के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव** कमरा सं. 504 ए विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली | दूरभाष 011–23074056 23384380 | kvr.murty @gov.in | 9560022844 |
| 2 | अन्य शिकायतें / कंप्लेंट | **श्री ए. अशोली चलाई, संयुक्त सचिव,** कमरा सं. 513 बी विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली | दूरभाष 23389785 फैक्स 23074212 | asholi.chalai@ nic.in | 9868140630 |
| 3 | एमसीए 21 से संबंधित शिकायतें / कंप्लेंट | **श्री आशीष कुशवाहा, निदेशक,** कमरा सं. 514 ए विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली | दूरभाष 23070954 | ashish.kushw aha@mca.gov. in | 9869062255 |

**अनसूचित जातियों (अ.जा.), अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.जा) और अन्य पिछड़े वर्गों (अ.पि.व.) का प्रतिनिधित्व**

**6.16.1** मंत्रालय में क्षेत्रीय कार्यालयों के कर्मचारियों सहित अनसूचित जातियों (अ.जा.), अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.जा) और अन्य पिछड़े वर्गों (अ.पि.व) का प्रतिनिधित्व, नीचे **तालिका 6.8** में दर्शाया गया है:–

तालिका 6.8
**मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में अनुसूचित जातियों (अ.जा.), अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.जा) और अन्य पिछड़े वर्गों (अ.पि.व.) का प्रतिनिधित्व (31 दिसंबर, 2017 की स्थिति के अनुसार)**

| समूह | पदस्थापित | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | योग | अनारक्षित | अ.जा. | अ.ज.जा | अ.पि.व. |
| क | 259 | 152 | 36 | 25 | 46 |
| ख | 467 | 284 | 80 | 34 | 69 |
| ग | 456 | 248 | 98 | 45 | 65 |
| **योग** | 1,182 | 684 | 214 | 104 | 180 |

## निवेशक शिकायत प्रबंधन प्रकोष्ठ

**6.17.1** मंत्रालय को सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर 01 जनवरी, 2017 से 31 दिसंबर, 2017 तक की अवधि के दौरान निवेशकों / जमाकर्ताओं से 7,376 शिकायतें प्राप्त हुई थी और इसके अतिरिक्त पिछले वर्ष से संबंधित 1,193 शिकायतें भी लंबित थीं। कुल

8,569 शिकायतों में से 7,909 शिकायतों का समाधान किया गया और 31 दिसंबर, 2017 की स्थिति के अनुसार 660 शिकायतें समाधान हेतु कंपनी रजिस्ट्रारों के पास लंबित थीं।

**6.17.2** इसके अतिरिक्त, आईजीएम अनुभाग को अन्य अनुभागों/एमसीए के प्रभागों/एंजेंसियों जैसे सेबी, आरबीआई, वित्तीय सेवाएं विभाग, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, डीएआरपीजी, लोक उद्यम विभाग आदि से संबंधित 1039 ऑफलाइन शिकायतें प्राप्त हुईं। उन्हें आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित एजेंसियों को अग्रेषित किया गया था।

## सूचना का अधिकार

**6.18.1** कारपोरेट कार्य मंत्रालय सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंधों के अंतर्गत एक लोक प्राधिकरण है। मंत्रालय ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंधों का अनुपालन करने के उद्देश्य से इस महत्वपूर्ण अधिनियम के अधीन व्यवस्थाएं की हैं।

**6.18.2** सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत उपबंधों की बाध्यताओं को पूरा करने के उद्देश्य से मंत्रालय की वेबसाइट पर अद्यतन सूचना अपलोड की गई है जिसमें मंत्रालय के विभिन्न अनुभागों/प्रभागों/प्रकोष्ठों द्वारा निपटाए जाने वाले विषयों का संक्षिप्त उल्लेख है। यह सूचना पब्लिक डोमेन में रखी गई है और इसे नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है। मंत्रालय के पदाभिहित अधिकारियों को उनके आबंटित कार्य के अलावा केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और अपील प्राधिकारी (एए) के रूप में मनोनीत और घोषित किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों को लोक प्राधिकरण के रूप में घोषित किया गया है। केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी (सीएपीआईओ) जिन्हें डाक विभाग द्वारा उप–संभाग स्तर और उप–जिला स्तर पर नामित किया गया है द्वारा आवेदन अपील प्राप्त किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त एमसीए के अधिकतर लोक प्राधिकरण आरटीआई एमआईएस पोर्टल से जुड़े हुए हैं जिससे नागरिकों को ऑनलाइन आवेदन और अपील करने में सुविधा होती है।

**6.18.3** इसी प्रकार कारपोरेट कार्य मंत्रालय की परिधि के अधीन अन्य लोक प्राधिकरणों जैसे राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान, प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेट संस्थान, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा सक्रिय प्रकटीकरण के कार्यान्वयन की व्यवस्था भी की गई है।

**6.18.4** तारीख 01 दिसंबर, 2016 से 30 नवंबर, 2017 तक एमसीए (मुख्यालय) में सूचना का अधिकार के अधीन प्राप्त आवेदन और अपीलों की सांख्यिकी का ब्यौरा निम्नलिखित **तालिका 6.9** में दर्शाई गई है।

**तालिका 6.9**
**आरटीआई आवेदनों और अपीलों के ब्यौरे**
**(01 दिसंबर, 2016 से 30 नवबंर, 2017 तक)**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या | 1,819 |
| 2. | अन्य लोक प्राधिकारियों को अंतरित | 743 |
| 3. | निर्णय जहां सूचना अनुरोध अस्वीकार किए गए | 7 |
| 4. | प्राप्त अपीलों की कुल संख्या | 140 |
| 5. | उन मामलों की संख्या जिनमें इस अधिनियम के प्रशासन के संबंध में किसी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई | शून्य |
| 6. | उन मामलों की संख्या जहां सीआईसी ने जुर्माना लगाया | शून्य |

## कारपोरेट कार्य मंत्रालय का बजट 2016–17 (30 नवंबर, 2017 तक)

(योजना और गैर–योजना) के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं **(तालिका 6.10 और तालिका 6.11)**

**6.19.1** मंत्रालय की राजस्व प्राप्तियों और व्यय

**तालिका 6.10**
**राजस्व प्राप्तियां**

**(करोड़ रु में)**

| **2013-14** | **2014-15** | **2015-16** | **2016-17** | **2017-18** (30.11.2017 तक) |
|---|---|---|---|---|
| 1,602.50 | 2,268.18 | 1,871.33 | 1,985.83 | 1,539.66 |

**तालिका 6.11**
**व्यय (योजना और गैर–योजना)**

**(करोड़ रु में)**

| | **वास्तविक व्यय 2016–17** | **बजट अनुमान 2017–18** | **संशोधित अनुमान 2018–19** | **वास्तविक व्यय 2017–18 (30.11.2017 तक)** |
|---|---|---|---|---|
| राजस्व | 373.02 | 458.55 | 491.84 | 260.75 |
| पूंजी | 24.32 | 29.50 | 29.00 | 16.45 |
| **योग** | **397.34** | **488.05**** | **520.84**** | **277.20**** |

*'अनुपूरक मांग की प्रथम बैच के माध्यम से प्राप्त 40.01 करोड़ का अनुपूरक शामिल है।

**60 करोड़ रुपए को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि यह राशि अंतर खाता अंतरण से संबंधित है।

*******

# अनुलग्नक

**(I-VI)**

अनुलग्नक-I

## 30 नवम्बर, 2017 तक विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लिए अधिसूचित पदाभिहित विशेष न्यायालयों की सूची

| क्र.सं. | विद्यमान न्यायालय | विशेष न्यायालय के रूप में क्षेत्राधिकार |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | अपर विशेष न्यायाधीश का न्यायालय, भ्रष्टाचार निरोधक जम्मू और श्रीनगर | जम्मू और कश्मीर राज्य |
| 2 | सिटी सिविल और सत्र न्यायालय, वृहद मुम्बई के न्यायालय सं. 37 और 58 के पीठासीन अधिकारी | महाराष्ट्र राज्य |
| 3 | सिलवासा में संघ शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली का प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश का न्यायालय | संघ शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव |
| 4 | जिला न्यायाधीश–1 न्यायालय और अपर सत्र न्यायाधीश पणजी | गोवा राज्य |
| 5 | मिरजापुर, अहमदाबाद में स्थित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय, अहमदाबाद (ग्रामीण) | गुजरात राज्य |
| 6 | नवां अपर सत्र न्यायाधीश संख्या 9, ग्वालियर, मध्य प्रदेश | मध्य प्रदेश |
| 7 | अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | संघ शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह |
| 8 | द्वितीय विशेष न्यायालय कोलकाता | पश्चिम बंगाल राज्य |
| 9 | अपर सत्र न्यायाधीश–03 का न्यायालय, दक्षिण–पश्चिम जिला द्वारका | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली |
| 10 | सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर | छत्तीसगढ़ राज्य |
| 11 | विशेष न्यायाधीश का न्यायालय (सती निवारण), जयपुर | राजस्थान राज्य |
| 12 | सत्र न्यायाधीश का न्यायालय और दूसरा अतिरिक्त सत्र न्यायालय एसएएस नगर | पंजाब राज्य |
| 13 | सत्र न्यायाधीश का न्यायालय और दूसरा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गुड़गांव | हरियाणा राज्य |
| 14 | सत्र न्यायाधीश का न्यायालय और दूसरा अपर सत्र | न्यायालय, चंडीगढ़ संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ |

| | | |
|---|---|---|
| 15 | पहला अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कोयम्बटूर | कोयम्बटूर, धरमापुरी डिण्डीगुल, ईरोड, कृष्णागिरी, नामक्कल, नीलगिरी, सलेम और तिरूपुर जिले |
| 16 | दूसरा अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पुदुचेरी | संघ शासित प्रदेश पुदुचेरी |
| 17 | सत्र न्यायालय, इम्फाल पूर्व | मणिपुर राज्य |
| 18 | जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय, शिलांग | मेघालय राज्य |
| 19 | आर्थिक अपराधों के लिए विशेष न्यायालय एवं VIII अपर मेट्रोपोलिटन सत्र न्यायाधीश न्यायालय एवं–XXII अपर मुख्य न्यायाधीश, जिला सिविल न्यायालय हैदराबाद | तेलंगाना राज्य |
| 20 | अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय IV एवं II अपर मेट्रोपोलिटन सत्र न्यायाधीश विशाखापट्टनम | आन्ध्र प्रदेश राज्य |
| 21 | अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय, पटना | बिहार राज्य |
| 22 | XV अपर न्यायालय, XVI जिला सिटी सिविल न्यायालय का न्यायालय, चेन्नई | कोयम्बटूर, धरमापुरी डिण्डीगुल, ईरोड, कृष्णागिरी, नामक्कल, नीलगिरी, सलेम और तिरूपुर जिलों को छोड़कर तमिलनाडु राज्य |

*******

**अनुलग्नक-II**

# कारपोरेट कार्य मंत्रालय का संगठन चार्ट

**श्री अरूण जेटली**
**मंत्री**
↓
**श्री पी. पी. चौधरी**
**राज्य मंत्री**
↓
**श्री इंजेटी श्रीनिवास**
**सचिव**

**Shri N.K Bhola**
**DGCoA**

| श्री एन. के. भोला<br>महानिदेशक<br>कारपोरेट कार्य | संयुक्त सचिव (के)<br>श्री के.वी.आर. मूर्ति | संयुक्त सचिव (एसी)<br>श्री ए. अशोली<br>चलाई | संयुक्त सचिव (जी)<br>जी. के. सिंह | संयुक्त सचिव<br>(रिक्त) | जेएस एंड एफए<br>रीना सिन्हा पुरी | आर्थिक<br>सलाहकार<br>डॉ. मोहन चुटानी | सलाहकार<br>(लागत)<br>देवेन्द्र कुमार | डीडीजी<br>गीता सिंह राठौर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| डीआईआई (एमएमजे): एम. एम. जुनैजा<br>डीआईआई (डीपीओ): डी. पी. ओझा<br>संयु.नि(बीएम): बी.मोहंती<br>संयु.नि(एसएस): संजय शौरी<br>संयु.नि(एसके): संतोष कुमार<br>संयु.नि.(यूकेएस) यू.के. साहू<br>संयु.नि. (एसकेजी): एस. के. गुप्ता<br>संयु.नि. (एमआरडी): मा. रा. दास<br>उ.नि.(एटी) अंशु टंडन<br>उ.नि. (एकेएस): ए. के. सेठी<br>उ.नि.(ईएन) ई. नागाचन्द्रन<br>अ.स. (एमके): मनीष कुमार सहाय<br>अ.अ. सीएल.प्प एच. एन. हेडो | निदे.(एके) आशीष कुशवाहा<br>उ.स.(बीपीपी) बी.पी.पंत<br>उ.स.(जीवी) जी. वैधीश्वरण<br>संयु.नि. (एसआरडी): शशि राज दारा<br>अ.स.(आरके) राकेश कुमार<br>अ.स.(पीएम) पूर्णिमा मलिक<br>अ.स. (एनडी): नीलरतन दास<br>उ.नि.(एके) अनिता क्लेर<br>उ.नि.(एजेपी): ए. जे. प्यारेलाल<br>अ.अधि.(आईजीएम) एस. पदमा राय<br>अ.अधि.(आईसी) एस. वी राजगोपाल<br>अ.अधि.(पीआई) एल. थंगराज<br>अ.अधि(ई–ग्व) शशि लेखरा | उ.स.(बीपीपी) बी.पी.पंत<br>उ.स.(जेएसए) जे एस औधखासी<br>संयु.नि.(रा.भा.) डा. आर रमेश आर्य<br>अ.स.(एपी) अनिल प्राशर<br>अ.स. (एचवी): हेमंत वर्मा<br>अ.स. (एनडी): नीलरतन दास<br>स.नि.(रा.भा.) राजीव माथुर<br>अ.अ.(सा) बिन्दु पिल्लई<br>अ.अ.(आरएंडआई) बिन्दु पिल्लई<br>अ.अ.(इंफ्रा) आर राजाराम<br>अ.अ.(संसद) अन्नाकुंजू मैथ्यू<br>अ.अ.(समन्वय) अन्नाकुंजू मैथ्यू<br>अ.अ. एवं डीडीओ दृ दीन दयाल सिंह | निदेशक(एनसी) नवनीत चौहान<br>उ.स.(जेएसए) जेएस औधखासी<br>उ.स.(वीके) विवेक कुमार<br>अ.स.(आरवी) रवि वजीरानी<br>अ.स.(एपी) अनिल प्राशर<br>अ.स.(आरएच) रियाजुल हक<br>अ.स.(एबी) अनिल भंडूला<br>अ.स. (एमके): मनीष कुमार सहाय<br>स.नि. (सीएलटप्) प्रेम चंद<br>अ.अ.(प्रशा.प्) बिन्दु पिल्लै<br>अ.अ.(प्रशा.प्प्) कल्लू राम मीणा<br>अ.अ.(प्रशा.प्प्प्) एस.सी. नूनवाल<br>अ.अ.(प्रशा.प्ट) सूरजीत साहा<br>अ.अ ।(सीएलटप्) समीक्षा लांबा<br>अ.अ ।(आईआईसीए) एन.के. बजाज | निदे.(आरटी) राकेश त्यागी<br>उ.स.(बीपीपी) बी पी पंत<br>संयु.नि.(एनकेडी) एन के दुआ<br>संयु.नि.(सीवीएस) सी.वी. सजीवन<br>संयु.नि.(सीएसजी) सीएस गोविंद राजन<br>अ.स.(एबी) अनिल भंडूला<br>अ.स.(एसकेवी) एस. के. वशिष्ठ<br>उ.नि.(एसके) सुधीर कपूर<br>उ.नि.(एमजी) मोनिका गुप्ता<br>उ.नि. (एसआर) सीमा रथ<br>उ.नि.(एबी) अनिमेष बोस<br>उ. नि. (वाईसी) योगिनी चौहान<br>उ.नि. (पीसी) प्रणय चतुर्वेदी<br>स.नि.(केएमएस) केएमएस, नारायणन<br>अ.अ.(वीआईजी) एम. मुरली मोहन<br>अ.अ. (आईएनएस) राकेश शर्मा | सीसीए: अनिल श्रीवास्तव<br>नि (एके): सुषमा कटारिया<br>अ.स. (एकेवी): अशोक कुमार विजय<br>.अ. (आईएफडी): पारितोष भाटिया<br>अ.अ. (बजट): अमितेष रॉय | निदेशक: रिक्त<br>संयु.नि.(पीसीजी) पी.सी. गुरूवैया<br>उ.नि.(यूके) ऊषा कुमार<br>स.नि.(डीएस) दिव्या शर्मा<br>स.नि. (एएस): अक्षय सिंह<br>निदेशक | मनमोहन कौर<br>निदेशक – के. के. महावर<br>स.नि. (एसबी) सौरभ बंसल<br>स.नि. (एसएस) सुनील साहू<br>स.नि. (पीएस): प्रियंका सचदेवा<br>स.नि. (आरएनएस) आर. | सहायक निदेशक<br>एन. सोरेथम<br>सहायक निदेशक<br>मनीष जून<br>अ.अ. (एसएस): सुषमा शर्मा |

मुख्य सतर्कता अधिकारी
मुख्य सतर्कता अधिकारी : श्री अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव
वेब मास्टर श्री आशीष कुशवाहा, निदेशक
कल्याण अधिकारी श्री अनिल प्राशर, अवर सचिव

*******

## अधिसूचनाएं
## (01 जनवरी, 2017 से 31 दिसंबर, 2017)

| क्र.सं. | अधिसूचना सं. | तारीख | विषय |
|---|---|---|---|
| 1 | सा.का.नि.70(अ) | 25.01.2017 | कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उपधारा 1 और 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग |
| 2 | का.आ.366(अ) | 08.02.2017 | कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 210क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग |
| 3 | सा.का.नि.175(अ) | 28.02.2017 | कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 434 की उपधारा 1 और 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग |
| 4 | सा.का.नि.258(अ) | 17.03.2017 | कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 के साथ पठित धारा 133 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग |
| 5 | का.आ.944(अ) | 23.03.2017 | एनएसीएएस में आईसीएसआई और आईसीएआई मनोनीत का प्रतिस्थापन |
| 6 | का.आ.945(अ) | 23.03.2017 | तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए विशेष न्यायालय पदाभिहित करना |
| 7 | सा.का.नि307(अ) | 30.03.2017 | कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उपधारा 1 और 2 के साथ पठित धारा 143 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग |
| 8 | सा.का.नि.308(अ) | 30.03.2017 | कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 467 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग |
| 9 | सा.का.नि.309(अ) | 30.03.2017 | कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 के साथ पठित धारा 173 धारा 175, धारा 177, धारा 178, धारा 179, धारा 184, धारा 185, धारा 186, धारा 187, धारा 188, धारा 189 और धारा 191 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग |
| 10 | सा.का.नि.339(अ) | 07.04.2017 | कंपनी (प्रभारों का रजिस्ट्रीकरण) संशोधन नियम, 2017 |
| 11 | सा.का.नि.355(अ) | 12.04.2017 | कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) संशोधन नियम, 2017 |
| 12 | सा.का.नि.368(अ) | 13.04.2017 | कंपनी (समझौते, ठहराव और समामेलन) संशोधन नियम, 2017 |
| 13 | का.आ.1182(अ) | 13.04.2017 | अधिसूचना – कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 234 का प्रारंभ |
| 14 | सा.का.नि. 454(अ) | 11.05.2017 | कंपनी (जमा की स्वीकृति) संशोधन नियम, 2017 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15 | सा.का.नि.582(अ) | 13.06.2017 | कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 462 के अधीन सरकारी कंपनियों को छूट |
| 16 | सा.का.नि.583(अ) | 13.06.2017 | कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 462 के अधीन प्राइवेट कंपनियों को छूट |
| 17 | सा.का.नि. 584(अ) | 13.06.2017 | कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 462 के अधीन धारा 8 कंपनियों को छूट |
| 18 | सा.का.नि.621(अ) | 22.06.2017 | कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) द्वितीय संशोधन नियम, 2017 |
| 19 | सा.का.नि. 732(अ) | 29.06.2017 | कंपनी (लंबित कार्यवाहियों का अंतरण) द्वितीय संशोधन नियम, 2017 |
| 20 | सा.का.नि.840(अ) | 05.07.2017 | राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (संशोधन) नियम, 2017 |
| 21 | सा.का.नि.839(अ) | 05.07.2017 | कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2017 |
| 22 | का.आ.2113(अ) | 05.07.2017 | कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV में संशोधन |
| 23. | सा.का.नि.880(अ) | 13.07.2017 | कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियां) द्वितीय संशोधन नियम, 2017 |
| 24 | का.आ.2218(अ) | 13.07.2017 | प्राइवेट कंपनी को छूट (शुद्धिपत्र) |
| 25 | सा.का.नि.955(अ) | 27.07.2017 | कंपनी (निगमन) द्वितीय संशोधन नियम, 2017 |
| 26 | सा.का.नि.1061(अ) | 23.08.2017 | एनसीएलएटी (संशोधन) नियम, 2017 |
| 27 | सा.का.नि.1062(अ) | 24.08.2017 | कंपनी (गंभीर कपट अन्वेषण संगठन द्वारा जांच के संबंध में गिरफ्तारी) नियम, 2017 |
| 28 | का.आ.2751(अ) | 24.08.2017 | कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 212 की उपधारा (8) और (10) का प्रारंभ |
| 29 | का.आ.2872(अ) | 31.08.2017 | विशेष न्यायालय पदाभिहित करना |
| 30 | का.आ.2938(अ) | 06.09.2017 | कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 458 के अधीन प्रादेशिक निदेशकों के अधिकार का प्रत्यायोजन |
| 31 | सा.का.नि.1172(अ) | 19.09.2017 | कंपनी (जमा की स्वीकृति) द्वितीय संशोधन नियम, 2017 |
| 32 | सा.का.नि.1176(अ) | 20.09.2017 | कंपनी (स्तरों की संख्या पर रोक) नियम, 2017 |
| 33 | का.आ.3085(अ) | 20.09.2017 | लेखांकन मानक संबंधी राष्ट्रीय सलाहकार समिति |
| 34 | का.आ.3086(अ) | 20.09.2017 | कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(87) के परंतुक का प्रारंभ |
| 35 | सा.का.नि.1316(अ) | 18.10.2017 | कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 36. | का.आ.3393(अ) | 18.10.2017 | कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 247 प्रवृत्त करने के लिए अधिसूचना 2017 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 247 प्रवृत्त करने के लिए अधिसूचना |
| 37 | का.आ.3401(अ) | 23.10.2017 | भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 247 के अधीन अधिकारों के प्रत्यायोजन हेतु अधिसूचना |
| 38 | का.आ.3529(अ) | 03.11.2017 | विशेष न्यायालय पदाभिहित करना |
| 39. | सा.का.नि.1372(अ) | 06.11.2017 | कंपनी (दस्तावेजों और प्ररूपों को प्रसारणीय कारोबार रिपोर्ट भाषा में फाइल करना) संशोधन नियम, 2017 |
| 40 | सा.का.नि.1371(अ) | 07.11.2017 | कंपनी (लेखा) संशोधन नियम, 2017 |
| 41 | का.आ.3804(अ) | 04.12.2017 | कर्नाटक राज्य के लिए विशेष न्यायालय पदाभिहित करना |

*******

## सामान्य परिपत्र (1 जनवरी, 2017 से 31 दिसंबर, 2017 तक)

| क्र.सं. | परिपत्र संख्या | तारीख | विषय |
|---|---|---|---|
| 1 | 01/2017 | 22.02.2017 | धारा 391(2) विदेशी कंपनी द्वारा व्यवसाय के स्थान को बंद करना |
| 2 | 04/2017 | 16.05.2017 | कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 16(1)(क) की प्रयोज्यता के संबंध में स्पष्टीकरण उन मामलों के संदर्भ में जो कंपनी अधिनियमए 1956 के सदृश प्रावधानों के अंतर्गत है। |
| 3 | 08/2017 | 25.07.2017 | कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत कतिपय निजी कंपनियों को दी गई छूट की प्रयोज्यता के संबंध में स्पष्टीकरण |
| 4 | 09/2017 | 05.09.2017 | कतिपय सार्वजनिक कंपनियों को कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं अर्हता) नियम, 2014 के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से छूट |
| 5 | 10/2017 | 13.09.2017 | भारतीय लेखांकन मानक (इंडएएस) और कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के नियम 4, बैंको अदायगी, लघु वित्त बैंक जो कारपोरेटों की अनुषंगी है के लिए दायित्वों के संबंध में स्पष्टीकरण |
| 6 | 11/2017 | 27.09.2017 | कंपनी (जमाओं को स्वीकार करना) द्वितीय संशोधन नियम, 2017 के अंतर्गत जारी नए प्रारूप डीपीटी–3 की प्रयोज्यता/उपलब्धता के लिए समय सीमा बनाने के संबंध में स्पष्टीकरण |
| 7 | 13/2017 | 26.10.2017 | कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत इंड एस का प्रयोग करते हुए एओसी–4 एक्सबीआरएल ई–प्ररूप को दाखिल करने में अतिरिक्त शुल्क में छूट और फाइल करने की तारीख में बढोत्तरी |
| 8 | 14/2017 | 27.10.2017 | कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत एओसी–4 और एओसी–4 (एक्सबीआरएल गैर इंडएएस) को अतिरिक्त शुल्क में छूट और दाखिल करने की अंतिम तिथि में बढोत्तरी |
| 9 | 15/2017 | 04.12.2017 | कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रारूप संख्या सीआरए–4 में अतिरिक्त शुल्क में छूट और दाखिल करने की अंतिम तिथि में बढोत्तरी |
| 10 | 16/2017 | 29.12.2017 | विलंब के लिए माफी योजना, 2018 |

अनुलग्नक-V

## राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठों की सूची

| क्र.सं. | न्यायपीठ का नाम | अवस्थिति | न्यायपीठ की क्षेत्रीय अधिकारिता |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | (क) राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, प्रधान न्यायपीठ | ब्लॉक सं. 3 भूतल, 6, 7 और 8 वां तल सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 | (1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली<br>(2) राजस्थान राज्य<br>(3) हरियाणा राज्य |
| 2. | राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली न्यायपीठ | | |
| 3. | राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण अहमदाबाद न्याय पीठ | आनंद हाउस भूतल, प्रथम और द्वितीय तल, एसजी थालतेज हाइवे, अहमदाबाद–380054 | (1) गुजरात राज्य<br>(2) मध्यप्रदेश राज्य<br>(3) दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र<br>(4) दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र |
| 4. | राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, इलाहाबाद न्याय पीठ | 9 वां तल, संगम प्लेस सिविल लाइन्स इलाहाबाद–211001 | (1) उत्तर प्रदेश राज्य<br>(2) उत्तराखंड राज्य |
| 5. | राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, बंगलुरू न्याय पीठ | कारपोरेट भवन, 12वां तल, रहेजा टावर, एमजी रोड, बंगलुरू–560001 | (1) कर्नाटक राज्य |
| 6. | राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, चंडीगढ न्याय पीठ | भूतल कारपोरेट भवन, सैक्टर 27बी, मध्य मार्ग, चंडीगढ़–160019 | (1) हिमाचल प्रदेश राज्य<br>(2) जम्मू–कश्मीर राज्य<br>(3) पंजाब राज्य<br>(4) चंडीगढ संघ राज्य क्षेत्र |
| 7. | राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, चैन्नई न्याय पीठ | कारपोरेट भवन, यूटीआई बिल्डिंग तीसरा तल, नं. 29 राजाई सलाई, चैन्नई–600001 | (1) केरल राज्य<br>(2) तमिलनाडु राज्य<br>(3) लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र<br>(4) पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8. | राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, गुवाहाटी न्याय पीठ | चौथा तल, पृथ्वी प्लेनेट हनुमान मंदिर के पीछे, जीएस रोड, गुवाहटी–781007 | (1) अरूणाचल प्रदेश राज्य<br>(2) असम राज्य<br>(3) मणिपुर राज्य<br>(4) मिजोरम राज्य<br>(5) मेघालय राज्य<br>(6) नागालैंड<br>(7) सिक्किम राज्य<br>(8) त्रिपुरा राज्य |
| 9. | राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, हैदराबाद न्याय पीठ | कारपोरेट भवन, बंडलागुड़ा तट्टीअन्नारम गांव हयात नगर मंडल रंगारेड्डी जिला हैदराबाद 500068 | (1) आंध्र प्रदेश राज्य<br>(2) तेलंगाना राज्य |
| 10. | राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, कोलकाता न्याय पीठ | 5 ऐस्प्लेनेड (पश्चिम) टाउनहाल भूतल और प्रथम तल, कोलकाता–700001 | (1) बिहार राज्य<br>(2) झारखंड राज्य<br>(3) ओडिशा राज्य<br>(4) पश्चिम बंगाल राज्य<br>(5) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह |
| 11. | राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, मुबंई न्याय पीठ | 6ठा तल, फाउंटेन टेलीकाम बिल्डिंग नं. सेंट्रल टेलीग्राफ के पास, एमजी रोड मुबंई 400001 | (1) छत्तीसगढ़ राज्य<br>(2) गोवा राज्य<br>(3) महाराष्ट्र राज्य |

*******

# नागरिक / ग्राहक चार्टर
## कारपोरेट कार्य मंत्रालय

| क्र. सं. | हमारी सेवाएं / कार्य संपादन | इस क्षेत्र में हमारे निष्पादन के मूल्यांकन का तरीका | हमारे सेवा मानक |
|---|---|---|---|
| 1. | नई कंपनियों के लिए नामों की उपलब्धता | आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय | 2 कार्य दिवस |
| | | आवेदन की प्राप्ति पर, संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदन के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय | 2 कार्य दिवस |
| 2. | किसी कंपनी का निगमन | आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय | 2 कार्य दिवस |
| | | आवेदन की प्राप्ति पर, संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदन की सूचना देने तथा निगमन प्रमाणपत्र जारी करने में लगने वाला अधिकतम समय | 2 कार्य दिवस |
| 3 | गैर पंजीकृत कंपनी का पंजीकरण | आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय | 2 कार्य दिवस |
| | | अनुमोदन की प्राप्ति पर, संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा पंजीकरण–प्रमाणपत्र जारी करने में लगने वाला अधिकतम समय | 2 कार्य दिवस |
| 4 | भारत के बाहर निगमित कंपनी द्वारा भारत में व्यापार स्थल का पंजीकरण | आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय | 2 कार्य दिवस |
| | | अनुमोदन की प्राप्ति पर, संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणपत्र जारी करने में लगने वाला अधिकतम समय | 1 कार्य दिवस |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5. | कंपनी के नाम में परिवर्तन | आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय | 3 कार्य दिवस |
| | | अनुमोदन की प्राप्ति पर, संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणपत्र जारी करने में लगने वाला अधिकतम समय | 3 कार्य दिवस |
| 6. | कंपनी के उद्देश्यों में परिवर्तन के लिए पंजीकरण | आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय | 3 कार्य दिवस |
| | | अनुमोदन की प्राप्ति पर, संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणपत्र जारी करने में लगने वाला अधिकतम समय | 2 कार्य दिवस |
| 7. | निजी कंपनी का सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तन | आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय | 3 कार्य दिवस |
| | | अनुमोदन की प्राप्ति पर, संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणपत्र जारी करने में लगने वाला अधिकतम समय | 3 कार्य दिवस |
| 8 | असीमित कंपनी का सीमित कंपनी में परिवर्तन | आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय | 3 कार्य दिवस |
| | | अनुमोदन की प्राप्ति पर, संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणपत्र जारी करने में लगने वाला अधिकतम समय | 3 कार्य दिवस |
| 9 | आईपीओ या एफपीओ को जारी करने से पूर्व विवरणिका का पंजीकरण | आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय | 2 कार्य दिवस |
| | | संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पावती जारी करने में लगने वाला अधिकतम समय | 1 कार्य दिवस |
| 10 | प्रभार सृजन/संशोधन/संतुष्टि का पंजीकरण | आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय | 3 कार्य दिवस |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | अनुमोदन की प्राप्ति पर, संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणपत्र जारी करने में लगने वाला अधिकतम समय | 2 कार्य दिवस |
| 11. | प्रभार सृजन/संशोध/संतुष्टि दाखिल करने में हुई देरी के लिए माफी | आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने और पूछताछ करने और स्पष्टीकरण में लगने वाला अधिकतम समय | 20 कार्य दिवस |
| | | अनुमोदन की प्राप्ति पर, संबंधित प्रादेशिक निदेशक द्वारा माफी संबंधी आदेश जारी करने में लगने वाला अधिकतम समय | 10 कार्य दिवस |
| 12. | वार्षिक सामान्य बैठक कराने की समय–सीमा बढ़ाने के लिए आवेदन | आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय | 5 कार्य दिवस |
| | | अनुमोदन की प्राप्ति पर संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदन के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय | 2 कार्य दिवस |
| 13 | न्यायालय या राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण या प्रादेशिक निदेशक के आदेश का पंजीकरण | आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय के आदेश का पंजीकरण | 2 कार्य दिवस |
| | | अपेक्षित दस्तावेजों सहित विधिवत पूरे किये गए आवेदन की प्राप्ति पर आवेदक को लाइसेंस में लगने वाला अधिकतम समय | 2 कार्य दिवस |
| 14 | किसी कंपनी के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां जारी करना | आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय | 4 कार्य दिवस |
| | | अपेक्षित दस्तावेजों सहित विधिवत पूरे किये गए आवेदन की प्राप्ति पर दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति जारी करने में लगने वाला अधिकतम समय | 3 कार्य दिवस |
| 15 | निदेशक पहचान संख्या (डिन) जारी करना | आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय | 1 कार्य दिवस |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | अपेक्षित दस्तावेजों सहित विधिवत भरे गए आवेदन की प्राप्ति पर (डिन) की मंजूरी देने वाला अनुमोदन पत्र जारी करने में लगने वाला अधिकतम समय | 1 कार्य दिवस |
| 16 | डिन ब्यौरों में बदलाव | आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय | 1 कार्य दिवस |
| | | अपेक्षित दस्तावेजों सहित विधिवत भरे गए आवेदन की प्राप्ति पर (डिन) के बदलाव के लिए पत्र जारी करने में लगने वाला अधिकतम समय | 1 कार्य दिवस |
| 17. | कंपनी का एलएलपी में परिवर्तन | आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय | 2 कार्य दिवस |
| | | अपेक्षित दस्तावेजों सहित विधिवत भरे गए आवेदन की प्राप्ति पर परिवर्तन प्रमाण पत्र जारी करने में लगने वाला अधिकतम समय | 3 कार्य दिवस |
| 18 | कंपनी का पंजीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करना | आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय | 45 कार्य दिवस |
| | | अपेक्षित दस्तावेजों सहित विधिवत भरे गए आवेदन की प्राप्ति पर किसी कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के बदलाव की पुष्टि करने वाले आदेश को जारी करने में लगने वाला अधिकतम समय | 15 कार्य दिवस |
| 19 | एक ही राज्य के भीतर कंपनी का पंजीकृत कार्यालय एक कंपनी रजिस्ट्रार से दूसरे रजिस्ट्रार में स्थानांतरित करना | आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय | 45 कार्य दिवस |
| | | अपेक्षित दस्तावेजों सहित विधिवत भरे गए आवेदन की प्राप्ति पर किसी कंपनी के | 15 कार्य दिवस |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | पंजीकृत कार्यालय के बदलाव की पुष्टि करने वाले आदेश को जारी करने में लगने वाला अधिकतम समय | |
| 20 | कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत लाइसेंस का अनुदान | आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय | 5 कार्य दिवस |
| | | अपेक्षित दस्तावेजों सहित विधिवत भरे गए आवेदन की प्राप्ति पर आवेदक को लाईसेसं देने के लिए लगने वाला अधिकतम समय | 2 कार्य दिवस |
| 21 | प्रबंध निदेशक / पूर्णकालिक निदेशकप्रबंधक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति या पुनः नियुक्ति और पारिश्रमिक का भुगतान या पारिश्रमिक में बढ़ोत्तरी या अधिक भुगतान की गई पारिश्रमिक की वसूली में छूट | आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय | 15 कार्य दिवस |
| | | सभी प्रकार से पूरे किए गए आवेदन की प्राप्ति पर अनुमोदन सूचित करने के लिए लगने वाला अधिकतम समय | 30 कार्य दिवस |
| 22 | निवेशक शिकायत निवारण / सीपीजी आरएएमएस | शिकायत की तारीख की प्राप्ति से निपटान करने में लगने वाला समय | 30 कार्य दिवस |
| 23 | एमसीए 21 संबंधी अन्य शिकायतें | शिकायत की तारीख की प्राप्ति से निपटान करने में लगने वाला समय | 30 कार्य दिवस |
| 24 | धारा 455 के तहत निष्क्रिय कंपनी के रूप में कंपनी की स्थिति की मांग करने के लिए आवेदन | प्ररूप की प्राप्ति की तारीख से, त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय | 3 कार्य दिवस |
| | | प्ररूप को रिकार्ड में लिए जाने के बारे में सूचना या अनुमोदन सूचित करने में लगने वाला समय | 2 कार्य दिवस |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25 | धारा 455 के तहत सक्रिय कंपनी के रूप में कंपनी की स्थिति की मांग करने के लिए आवेदन | प्ररूप की प्राप्ति की तारीख से, त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय | 3 कार्य दिवस |
| | | प्ररूप को रिकार्ड में लिए जाने के बारे में सूचना या अनुमोदन सूचित करने में लगने वाला समय | 2 कार्य दिवस |
| 26 | प्राप्तकर्ता / प्रबंधक की नियुक्ति के बारे में सूचना का पंजीकरण [धारा 84(1),] | प्ररूप की प्राप्ति की तारीख से, त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय | 3 कार्य दिवस |
| | | प्ररूप को रिकार्ड में लिए जाने के बारे में सूचना या अनुमोदन सूचित करने में लगने वाला समय | 2 कार्य दिवस |
| 27 | कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 460 के तहत विलम्ब के लिए माफी | आवेदन प्राप्ति की तारीख से, आवेदन में त्रुटियों के बारे में सूचित करने में लगने वाला अधिकतम समय | 15 कार्य दिवस |
| | | सीजी द्वारा अनुमोदन जारी करने में लगने वाला अधिकतम समय | 30 कार्य दिवस |

*******

सत्यमेव जयते

**भारत सरकार**

**कारपोरेट कार्य मंत्रालय**

मुद्रक: कमल प्रिन्टर्स
मोब. 9810622239, 9810576865